आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

सहयोग राशि
30/-₹

जुलाई 2022

क्रान्ति

मासिक



इस्लामोफ़ोबिया : मंथन का मौक़ा

ALI SURGICARE CENTRE

Dr. B. Doja

MS, FIAGES
General Laparoscope Surgeon





उपलब्ध सुविधाएं

- जेनरल सर्जरी
- लेप्रोस्कोपीक सर्जरी
- यूरो सर्जरी
- जेनरल मेडिसीन
- इकोकार्डियोग्राफी
- ई.सी.जी.
- नेबुलाइजर
- पैथोलॉजी जाँच





ALI SURGICARE CENTRE

Ramzan Colony, Old H.B. Road, Kantatoli, Ranchi (Jharkhand)
Ph. : 0651-2532009, 8092573766, 9304231483, 8969368783

www.kanti.in

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि

एक प्रति 30/- रु०	एक वर्ष 350/- रु०
दो वर्ष 670/- रु०	तीन वर्ष 950/- रु०
चार वर्ष 1200/- रु०	पांच वर्ष 1400/- रु०

आजीवन रु० 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न०
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 32 अंक 01 जुलाई 2022

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

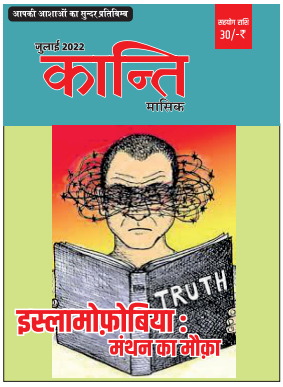

कान्ति
मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
नबी-ए-रहमत : ईर्ष्या के कांटों के बीच मुहब्बत के फूल
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
सफल वास्तव में कौन लोग हैं?
डॉ० मुहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी

सौंदर्य बोध 11
शिखर की ओर
नसीम ग़ाज़ी

मुख्य स्तंभ 15
इस्लामोफ़ोबिया: मंथन का मौक़ा
सुफ़ियान अहमद

विवेचना 19
एक काल्पनिक भय का दुष्प्रचार
संपादन प्रभाग

विश्लेषण 22
कैसी हो हमारी प्रतिक्रिया?
नईम अलहिन्दी

समाधान 25
क़ानून का शासन और ग़लतफ़हमियों का निवारण
संपादन प्रभाग

कविता 27
मैं सुमन हूं
द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी

समसामयिक 28
तर्कहीन विरोध
सैयद तनवीर अहमद

ज्वलंत 31
राजद्रोह क़ानून: अब तक क्यों है यह दाग़?
संपादन प्रभाग

ईदुल-अज़हा पर विशेष 34
धर्मपरायणता और क़ुरबानी
संपादन प्रभाग

सेहत 38
फोबिया को रखें ख़ुद से दूर
संपादन प्रभाग

करियर 41
वीडियो एडिटिंग: बेशुमार अवसरों वाला क्षेत्र
संपादन प्रभाग

कहानी 44
नाख़ून
मिख़ाईल नईमा

आख़िरी पन्ना 48
हज : सच्ची निष्ठा एवं भक्ति का प्रदर्शन
डॉ० मुहम्मद अहमद

मूल प्रश्न



नबी-ए-रहमत : ईर्ष्या के कांटों के बीच मुहब्बत के फूल



शिब्ली अरसलान

आख़िर मुसलमान पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) से इतनी मुहब्बत क्यों करते हैं? पैग़म्बर मुहम्मद के जीवन-चरित्र में ऐसी क्या ख़ास बात है कि दुनिया भर के मुसलमान इस क़दर चाहते हैं मुहम्मद को? क्या वजह है कि हज़रत मुहम्मद की शान में तनिक अपमान भी उन्हें क़ुबूल नहीं? ये वो सवाल हैं जो आज हर सकारात्मक ज़ेहन में पैदा हो रहे होंगे। मुसलमानों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इंतेक़ाम, उत्तेजना और अतिप्रतिक्रिया से हट कर इन सवालों का जवाब दें। सवाल ये भी उठ रहा होगा कि पैग़म्बर से मुहब्बत के नाम पर क्या हंगामा और तमाशा जाएज़ है? मुहब्बत में ग़म और दर्द तो समझ में आता है, उत्तेजना, हुड़दंग और पागलपन समझ से परे है और मुहब्बत का दम भरा जाए उस हस्ती से जिनके व्यक्तित्व में नरमी, दरगुज़र और दया सर्वोपरि हो, जिनके व्यक्तित्व से उत्तेजना और हुड़दंग बिल्कुल मेल नहीं खाता हो, तो उलझन और भी बढ़ जाती है। जज़्बाती नारों और उत्तेजना का कुछ हासिल नहीं, साधारण पढ़ा-लिखा नॉन मुस्लिम ये समझ नहीं पाता कि अरब में पैदा होने वाले मुहम्मद से भारतीय मुसलमानों की इतनी मुहब्बत का राज़ क्या है, अतः वे इन विरोध प्रदर्शनों को सांप्रदायिक कुकृत्य या नफ़रत समझता है या मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर चढ़ दौड़ने का बहाना मात्र।

दूसरी ओर इस्लाम विरोधी उन्हें ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि देखो संख्या बल और अरबों के धनबल के दम पर मुसलमानों ने भारत को शंट कर दिया, जिस पर भारत के मुसलमान जुलूस निकाल कर ख़ुशी मना रहे हैं।

करोड़ों लोगों के दिलों में हज़रत मुहम्मद के लिए ये अगाध प्रेम और जां-निसारी पैग़म्बर के लिए ईश्वर का वरदान और इनाम है। हज़रत मुहम्मद का व्यक्तित्व ऐसा है कि ख़ुदा भी उनसे मुहब्बत करता है, उन पर सलाम (सैलूट) भेजता है और सलाम भेजने की ताकीद करता है। ईश्वर (अल्लाह) के अंतिम दूत हज़रत मुहम्मद के व्यक्तित्व की तीन बातें इतनी आकर्षक हैं, जो मानव इतिहास में उन्हें विशिष्ट स्थान देती हैं और हमारे दिलों को उनकी मुहब्बत का

असीर (क़ैदी) बनाती हैं।

1. मानव समता और गरिमा (human dignity) के लिए आपका जीवन पर्यंत प्रयास और इसमें मिली बड़ी सफलता। अरब जगत में सदियों की ग़ुलामी प्रथा का ख़ात्मा और दबी-कुचली कॉम्युनिटीज़ को मानव प्रतिष्ठा और समता के मक़ाम पर प्रतिस्थापित करना, मानव इतिहास की असाधारण घटना है। यह एक कड़वा सच है कि जिस समय पैग़म्बर दुनिया में आये थे उस समय ग़ुलामी का चलन था। शक्तिशाली ताक़तें या ट्राइब्स जिस पर भी आक्रमण करना चाहती थीं, उस पर आक्रमण करती थीं और उन्हें ग़ुलाम बनाती थीं। रोम, ग्रीस और ईरान आदि साम्राज्यों में लाखों ग़ुलाम दुख और पीड़ा का जीवन जी रहे थे, किसी को उनकी परवाह नहीं थी। ग़ुलामों की संख्या को भी सम्राटों के साम्राज्य का एक आवश्यक हिस्सा माना जाता था। अरब देशों में भी उनकी हालत जानवरों से ज़्यादा बेहतर नहीं थी। अरब, दासों के साथ बड़ी अवमानना और अपमान का व्यवहार करते थे। वास्तव में अरब में दासों का कोई स्थान नहीं था। उनके पास कोई नागरिक अधिकार नहीं था। अगर मालिक उन्हें मार डालता तो कोई उनसे नहीं पूछता। क्योंकि उन्हें अपने स्वामी की संपत्ति माना जाता था। उस समय ऐसा कोई क़ानून नहीं था जो उनकी रक्षा कर सके। मानवता के हितैषी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद ने मानवता को जिन बेड़ियों से बचाया, उनमें ग़ुलामी की बेड़ी सर्वोपरि है। उन्होंने ग़ुलामी के अंत की घोषणा की। जिस समाज में दासों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था, आपने दासों को स्वामी के सामने ला खड़ा किया।

2. अरब और ग़ैर-अरब की दीवारें तोड़ कर मानवता को जीवन का सौंदर्य और रहस्य समझाया। एकेश्वरवाद की अवधारणा को इस दार्शनिक सौंदर्य के साथ पेश किया और बरता कि सारी भौगोलिक और नस्लीय अन्तर से इतर हर कोने से लोग लपक पड़े। लोगो! तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप (यानी आदम अलैहि.) भी एक है। बेशक कोई अरब किसी ग़ैर-अरब से बड़ा नहीं और न कोई ग़ैर-अरब किसी अरब से बड़ा है और न कोई गोरा किसी काले से बेहतर है और न कोई काला किसी गोरे से बेहतर है; सिवाय तक़वे के (यानी अल्लाह से डरने वाला ही अल्लाह की नज़र में मर्तबे में बड़ा और बेहतर है)"– ये सदा आपने इस बुलंदी से लगाई कि लड़ाके और ख़ून पिपासे मुहब्बत और रहमत के प्रतीक बन गए। एक क़बीले का ऊंट दूसरे क़बीले की चरागाह में ग़लती से चले जाने की घटना से उत्तेजित होकर जो अरब वर्षों तक भयानक रूप से लड़ते रहे थे, उस उग्र और लड़ाकू क़ौम को इस्लाम के पैग़म्बर ने आत्मसंयम एवं अनुशासन की ऐसी शिक्षा दी, ऐसा सौंदर्यबोध जगाया कि वे युद्ध के मैदान में भी नमाज़ अदा करते थे।

मानव समता और गरिमा (human dignity) के लिए आपका जीवन पर्यंत प्रयास और इसमें मिली बड़ी सफलता। अरब जगत में सदियों की ग़ुलामी प्रथा का ख़ात्मा और दबी-कुचली कॉम्युनिटीज़ को मानव प्रतिष्ठा और समता के मक़ाम पर प्रतिस्थापित करना, मानव इतिहास की असाधारण घटना है।

सलाम उस पर कि जिसने ज़िंदगी का राज़ समझाया

3. आप मानव संस्कार और अख़लाक़ के शीर्ष पर विराजमान नज़र आते हैं। आपकी सच्चाई, ईमानदारी, चरित्र की पाकीज़गी और तबियत की नरमी के तो आपके धुर्विरोधी भी क़ायल व घायल थे। हज़रत मुहम्मद के जीवनीकार प्रोफ़ेसर के०एस० रामकृष्णा राव के शब्दों में "ऐतिहासिक दस्तावेज़ साक्षी हैं कि क्या दोस्त, क्या दुश्मन, हज़रत मुहम्मद के सभी समकालीन लोगों ने जीवन के सभी मामलों व सभी क्षेत्रों में पैग़म्बरे-इस्लाम के उत्कृष्ट गुणों, आपकी बेदाग़ ईमानदारी, आपके महान नैतिक सद्गुणों तथा आपकी अबोध निश्छलता और हर संदेह से मुक्त आपकी विश्वसनीयता को स्वीकार किया है। यहां तक कि यहूदी और वे लोग जिनको आपके संदेश पर विश्वास नहीं था, वे भी आपको अपने झगड़ों में पंच या मध्यस्थ बनाते थे, क्योंकि उन्हें आपकी निरपेक्षता पर पूरा यक़ीन था। वे लोग भी जो आपके संदेश पर ईमान नहीं रखते थे, यह कहने पर विवश थे–''ऐ मुहम्मद, हम तुमको झूठा नहीं कहते, बल्कि उसका इन्कार करते हैं जिसने तुमको किताब दी तथा जिसने तुम्हें रसूल बनाया।'' (Mohammad :The prophet of Islam) आपके चरित्र पर जैसा घिनौना इल्ज़ाम ये आज के दुश्मन लगाते हैं, ऐसा इल्ज़ाम तो अरब के शातिर दुश्मन सरदारों ने भी नहीं लगाया।

नाम-ए-नबी से जलने वाले आज भी हैं और कल भी थे
नाम-ए-नबी का झंडा ऊंचा कल भी था और आज भी है।



“अगर आदम की सन्तान के पास माल से भरी दो घाटियां भी हों तो उसे तीसरी की इच्छा और तलाश होगी। आदम की सन्तान के पेट को सिर्फ़ मिट्टी ही भरती है, और अल्लाह तौबा करने वाले की तौबा स्वीकार करता है।”

(हदीस : बुख़ारी)

Aftab Ahmad Sabahi
Jharkhand

चिंतन



डॉ. मुहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी



सफल वास्तव में कौन लोग हैं ?

हर व्यक्ति के दिल में यह स्वाभाविक इच्छा पाई जाती है कि वह एक सफल मनुष्य की हैसियत से जीवन व्यतीत करे। वह जो भी योजनाएं बनाए वे पूरी हों, जिन चीज़ों की कामना करे, वे उसे मिल जाएं और जिस मंज़िल तक पहुंचने का इरादा करे बिना किसी रुकावट के वहां तक पहुंच जाए। अगर वह अपने गंतव्य (मंज़िले-मक़्सूद) तक पहुंच जाता है और अपने लक्ष्य रूपी मोती को प्राप्त कर लेता है, तो ख़ुद को सफल और सौभाग्यशाली समझता है और अगर उसके सपने अधूरे रह जाते हैं और उसकी तमन्नाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो वह ख़ुद को असफल मनुष्य समझता है और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता है।

मनुष्यों ने सफलता के अलग-अलग पैमाने बना रखे हैं। कुछ लोगों के नज़दीक सफलता यह है कि उनके पास धन-दौलत की रेल-पेल हो, उन्हें हर तरह की सुख-सुविधाएं प्राप्त हों, साधनों और संसाधनों की बहुलता हो, बड़े-बड़े आरामदेह और सुन्दर बंगले, लग्ज़री गाड़ियां और सेवा में लगे रहने वाले नौकर-नौकरानियां हों। उन्हें पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो, समाज में उन्हें मान-सम्मान की दृष्टि से देखा जाता हो, दूसरे लोग उनका आदर करते और उनके आगे-पीछे लगे रहते हों। उनका व्यापार ज़ोरों पर हो, उनकी आमदनी में दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ोत्तरी हो रही हो और उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा हो।

कुछ लोग शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शान्ति को सफलता का पैमाना घोषित करते हैं। उनके नज़दीक अगर कोई आदमी पूरी तरह स्वस्थ हो, उसे किसी तरह की कोई बीमारी या रोग न हो, वह हर तरह की मानसिक और मनोवैज्ञानिक परेशानियों से सुरक्षित हो और सुख-शान्ति और संतोष भरी ज़िन्दगी गुज़ार रहा हो, वह सफल है।

कुछ लोगों की नज़र में किसी आदमी की सफलता यह है कि वह अपनी निगाहों के सामने अपने ख़ानदान को फलता-फूलता और अपने बाल-बच्चों और दूसरे नाते-रिश्तेदारों को तरक़्क़ी व उन्नति करता हुआ देख ले।

कहने का मतलब यह है कि विभिन्न लोगों की दृष्टि में सफलता के अलग-अलग पैमाने हैं, जिन पर वे अपने और दूसरों के मामलों को जांचते-परखते हैं और उसके अनुसार सफलता और असफलता का फ़ैसला करते हैं।

आदमी की एक स्वाभाविक इच्छा यह भी होती है कि उसने सफलता का जो स्तर क़ायम किया है, वह उसे हमेशा प्राप्त रहे। अगर उसके नज़दीक धन-दौलत की प्रचुरता सफलता का अस्ल मानदंड है, तो चाहता है कि वह हमेशा उसे हासिल रहे, वह कभी उससे वंचित न हो। अगर उसकी नज़र में सफलता का अर्थ सत्ता, शासन और अधिकार है, तो वह इच्छुक रहता है कि सत्ता, शासन

और अधिकार की कुंजियां हमेशा उसकी मुट्ठी में हों। अगर व्यापार की तरक़्क़ी को वह सफलता समझता है, तो इच्छा रखता है कि वह बराबर तरक़्क़ी करता रहे और कभी उसमें घाटा न हो। किसी भी मामले में अगर निरन्तरता में फ़र्क़ पड़ जाता है या अस्थायी रूप से ही सही, वह उससे वंचित होता है तो उसे असफलता समझता है।

इन सभी लोगों की सोच इस दुनिया की ज़िन्दगी तक ही सीमित है। वे इसी में मगन और इसी को बेहतर बनाने के लिए सतत् प्रयासरत रहते हैं। इसलिए सफलता के बारे में उनकी मान्यताएं और धारणाएं भी सीमित हैं। मनुष्य की वास्तविक सफलता क्या है? मुक्ति (नजात, मोक्ष) किस चीज़ में है? विभिन्न विचारधाराएं और धर्म इसका अलग-अलग अन्दाज़ से जवाब देते हैं। इस्लाम धर्म जीवन की सर्वव्यापी और सर्वांगीण अवधारणा प्रस्तुत करता है। इसलिए इसकी अवधारणा सफलता की उपर्युक्त सभी धारणाओं से बिल्कुल अलग है।

प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में पैदा होता है, पलता-बढ़ता है, उम्र की विभिन्न अवस्थाओं से गुज़रता है, यहां तक कि मौत की गोद में पहुंच जाता है। इस्लाम की नज़र में यह उसकी पूरी ज़िन्दगी नहीं है, बल्कि एक मरहला या चरण है। मरने के बाद उसकी ज़िन्दगी का दूसरा मरहला या चरण शुरू होगा, जिसे वह 'आख़िरत' (परलोक) का नाम देता है। इस्लाम कहता है कि दुनिया की ज़िन्दगी अस्थायी और कुछ ही दिनों की है, जबकि आख़िरत की ज़िन्दगी शाश्वत और अमर होगी। जो लोग दुनिया की ज़िन्दगी को ही सब कुछ समझते हैं, वे धोखे में हैं।

इस्लाम कहता है कि इस दुनिया में आदमी का वुजूद या अस्तित्व किसी आकस्मिक घटना या संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि उसे एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हस्ती ने एक सुविचारित योजना के तहत पैदा किया है। इसके सृजन का उद्देश्य यह है कि वह दुनिया में उसके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारे। उसने अपने चुने हुए पसन्दीदा बन्दों के ज़रिये, जिन्हें रसूल, ईशदूत या सन्देष्टा कहा जाता है, वह ज़िन्दगी गुज़ारने के तरीक़ों को स्पष्ट शब्दों में बयान कर देता है। सबसे आख़िर में उसने ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को सारे मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए भेजा और उन पर अपनी किताब 'क़ुरआन' उतारी, जिसमें ज़िन्दगी गुज़ारने का सही तरीक़ा खोल-खोलकर बयान कर दिया गया है।

दुनिया में इन्सानों को ईश्वर ने इरादे और चयन की आज़ादी भी दी है। वे चाहें तो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और क़ुरआन मजीद पर ईमान लाएं और चाहें तो इन्कार कर दें, चाहें तो उनके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारें और चाहें तो अपनी मर्ज़ी चलाएं। इस्लाम स्पष्ट शब्दों में कहता है कि इस दुनिया में मनुष्य परीक्षा और आज़माइश की हालत में है। अगर वह यहां अल्लाह (ईश्वर) और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारेगा तो अल्लाह उससे ख़ुश होगा और मरने के बाद की ज़िन्दगी में उसे हर तरह के इनामों से मालामाल कर देगा और अगर वह इस तरीक़े का उल्लंघन करेगा और मनमानी करेगा, तो अल्लाह उससे नाराज़ होगा और मरने के बाद की ज़िन्दगी में उसे सज़ा देगा। इनाम के तौर पर उसे जन्नत (स्वर्ग) में दाख़िल किया जाएगा और सज़ा के तौर पर उसे जहन्नम (नरक) में डाल दिया जाएगा।

विभिन्न लोगों की दृष्टि में सफलता के अलग-अलग पैमाने हैं, जिन पर वे अपने और दूसरों के मामलों को जांचते-परखते हैं और उसके अनुसार सफलता और असफलता का फ़ैसला करते हैं। आदमी की एक स्वाभाविक इच्छा यह भी होती है कि उसने सफलता का जो स्तर क़ायम किया है, वह उसे हमेशा प्राप्त रहे।



इस्लाम कहता है कि सारे मनुष्य परलोक में सारे जहानों के पालनहार रब के सामने पेश होंगे और उनसे दुनिया में किए गए सारे कामों का हिसाब लिया जाएगा और उनके कामों को तौला जाएगा। जिन लोगों ने दुनिया में अच्छे और भले काम किए होंगे वे सफल समझे जाएंगे और उन्हें जन्नत (स्वर्ग) का हक़दार क़रार दिया जाएगा और जिन लोगों ने दुनिया में बुरे काम किए होंगे उनके असफल होने का ऐलान कर दिया जाएगा और सज़ा के तौर पर उन्हें नरक में झोंक दिया जाएगा। जन्नत में जाने वालों को वहां कौन-कौन-सी नेमतें (अनुपम ईश्वरीय कृपादान) मिलेंगी और नरक में डाले जाने वाले को वहां कौन-कौन-सी भयंकर यातनाओं से दो-चार होना पड़ेगा। क़ुरआन मजीद में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है।

इस्लाम की नज़र में सच्ची सफलता, जिसे वह 'मुक्ति' (नजात) और 'कल्याण' (फ़लाह) के शब्दों से बयान करता है, यह है कि परलोक में जब आदमी के कर्म तौले जाएंगे तो अगर उसके अच्छे कर्मों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो उसे स्वर्ग का हक़दार क़रार दिया जाएगा और इस्लाम की नज़र में यही सबसे बड़ी सफलता है। इसके विपरीत जिस आदमी के अच्छे कर्मों का पलड़ा परलोक में हलका होगा तो इसकी वजह से उसे नरक में डाला जाएगा। (जो इस्लाम की नज़र में वास्तव में सबसे बड़ी असफलता और घाटे का सौदा है।) क़ुरआन में कहा गया है-

"उस समय जिनके पलड़े भारी होंगे वही सफलता प्राप्त करेंगे और जिनके पलड़े हलके होंगे वही लोग होंगे जिन्होंने अपने-आपको घाटे में डाल लिया। वे जहन्नम (नरक) में हमेशा रहेंगे। आग उनके चेहरों की खाल चाट जाएगी और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे।" (क़ुरआन, 23:102-104)

इसके विपरीत जिन लोगों ने दुनिया में उसके हुक्मों पर अमल किया होगा और अच्छे काम किए होंगे, उनको वह नरक से बचा लेगा और स्वर्ग में दाख़िल करेगा। यही लोग मोक्ष पाने वाले हैं और यही लोग सफल हैं–"क़ियामत के दिन तुम देखोगे जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बांधा है उनके मुंह काले होंगे। क्या नरक में अहंकारियों के लिए काफ़ी जगह नहीं है? इसके विपरीत जिन लोगों ने यहां डर रखा है उनकी सफलता-उपक्रम के कारण अल्लाह (ईश्वर) उन्हें मुक्ति प्रदान करेगा। उनको न कोई कष्ट और हानि पहुंचेगी और न वे ग़मग़ीन होंगे।" (क़ुरआन, 39:60-61)

"उस दिन जो सज़ा से बच गया, उस पर अल्लाह ने बड़ी ही दया की और यही खुली सफलता है।"

(क़ुरआन, 6:16)

इसलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया की ज़िन्दगी में मिलने वाली मामूली और क्षणिक सफलताओं पर फूले न समाने के बजाय परलोक के जीवन को अपने सामने रखें, उसके लिए अपने आपको तैयार करें और वहां सफलता प्राप्त करने के लिए क़ुरआन में जिन गुणों और विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, उनको अपने अन्दर पैदा करने की कोशिश करें।

■■



“कमज़ोर और विधवा महिला और मुहताज की सहायता करने के लिए दौड़-धूप करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है या रात्रि में खड़े रहने वाले इबादतगुज़ार या दिन में रोज़ा रखने वाले की तरह है।”

(हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

ARIF KHAN
GAYA (BIHAR)

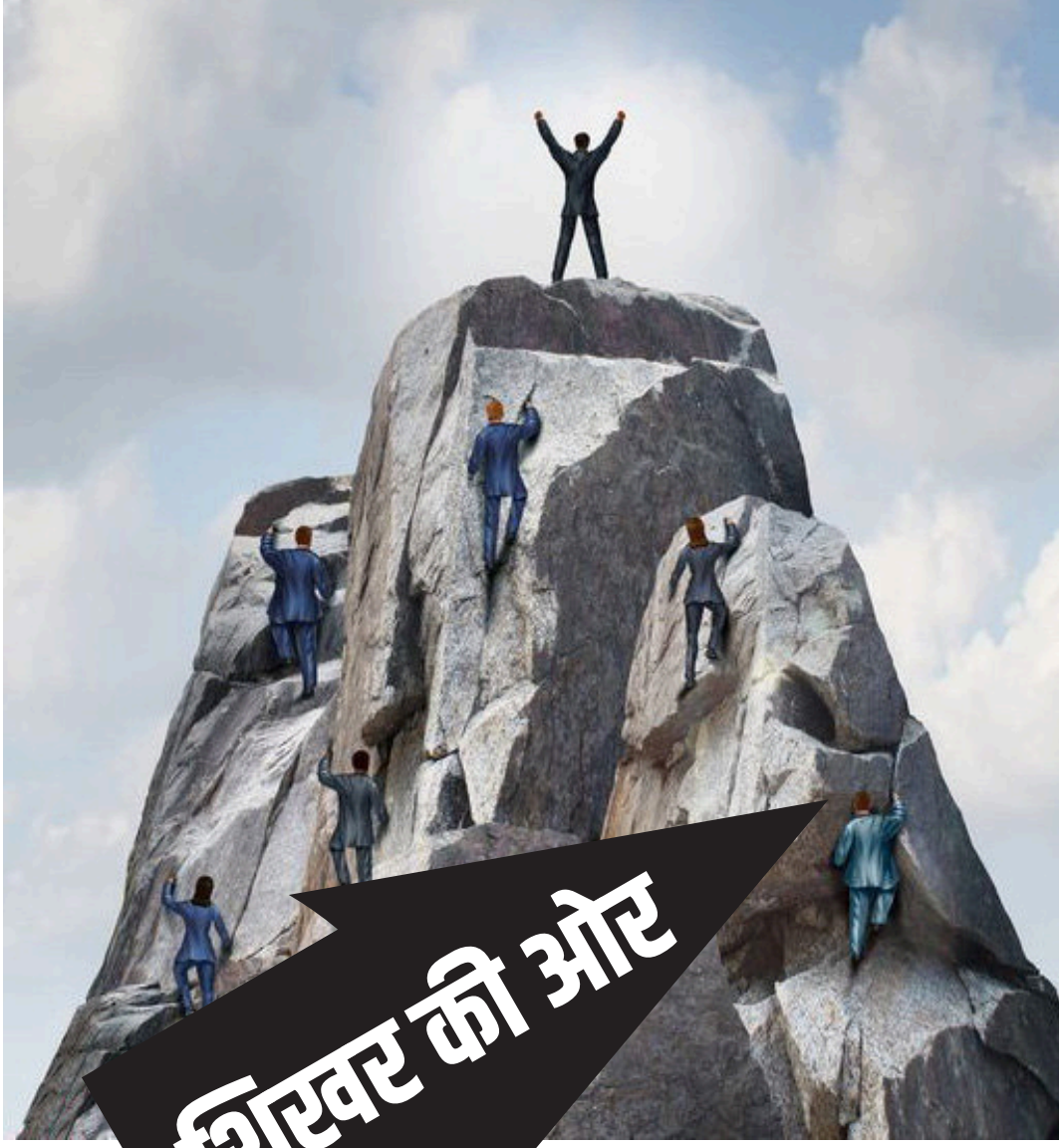

शिखर की ओर

सौंदर्य बोध



नसीम ग़ाज़ी

किसी व्यक्ति या किसी समुदाय की यह इच्छा कि संसार में उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो और आदर की दृष्टि से उसे देखा जाए, अत्यन्त स्वाभाविक है, लेकिन वास्तविक प्रतिष्ठा के लिए महानता चाहिए। धारणाओं की सत्यता, भावनाओं की सुन्दरता और चारित्रिक शक्ति के अभाव में न तो किसी महानता की कल्पना की जा सकती है और न ही ऐसी दशा में किसी के लिए हम किसी प्रतिष्ठा की आशा कर सकते हैं। प्रतिष्ठा उनके लिए होती है, जो दूसरों को गर्त से निकाल कर उन्हें उच्चता के शिखर पर खड़ा कर सकें, जिनका दृष्टिकोण संकुचित न हो, जो पूर्वाग्रह, अज्ञान और पक्षपात से बहुत ऊपर उठ चुके हों, जिनके विचार सत्य और तर्कसंगत हों, जिनकी भावनाओं और आचरण के मध्य एकात्मकता और सामंजस्य पाया जाता हो, जो जीवन के रहस्य से परिचित हों, जो जानते हों कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है और वे कौन-से चारित्रिक गुण हैं, जिन पर जीवन की सफलता निर्भर करती है।

संसार में कांटे ही नहीं होते, फूल भी खिलते हैं। जीवन को मात्र दुख और पीड़ा की संज्ञा देना जीवन और जगत दोनों ही का तिरस्कार है। जीवन में बुढ़ापा ही नहीं यौवन भी होता है। जीवन

निराशा द्वारा नहीं, बल्कि आशाओं और मधुर कामनाओं द्वारा निर्मित हुआ है। हृदय की पवित्र एवं कोमल भावनाएं निरर्थक नहीं हो सकतीं। क्या बाग़ के किसी सुन्दर महकते फूल को निरर्थक कह सकते हैं? एक छोटे-से पुष्प को निरर्थक नहीं कहा जा सकता, तो जीवन को, जो अपने में जाने कितनी सुन्दरता और गहराइयां लिए हुए है, कैसे इसे अशुभ एवं असुन्दर कह सकते हैं? जीवन के प्रति वही दृष्टिकोण सत्य के अनुकूल हो सकता है, जिसमें विसंगतियां न हों, जो मानव को ऊंचा उठा सके। जो हमें तुच्छता से नहीं श्रेष्ठता से जोड़ सके। हम फिर कहेंगे, श्रेष्ठ वही हो सकते हैं, जो दूसरों को प्रतिष्ठित कर सकें, जो दूसरों की उदासी और निराशा को छीन सकें और उन्हें आशावान बना सकें, जिनका हृदय इतना विशाल हो कि वे संसार के सारे लोगों को कह सकें कि वे हमारे हैं।

हमारी स्वभावजन्य इच्छाएं और कामनाएं न पाप हैं और न उन्हें दुख का मूल कारण कहा जा सकता है। दुख का कारण तो सदैव अज्ञान हुआ करता है। इच्छाओं और नैसर्गिक अभिलाषाओं को नियंत्रण में रखना इसलिए आवश्यक होता है ताकि हम अपना संतुलन न खो सकें।

इन्सानों की ज़िन्दगी समस्याओं से ख़ाली नहीं है, लेकिन कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती कि उसका मुनासिब हल न निकल सके। प्रत्येक समस्या का हल सम्भव है, शर्त यह है कि हल के लिए उचित उपाय अपनाया जाए। अगर उपाय उचित नहीं है, तो समस्या का सही अर्थ में अस्थायी हल भी नहीं निकल सकता। अगर किसी तरह से अस्थायी हल खोज भी लिया जाए, किन्तु उपाय अनुचित है, तो इससे समस्या की भयावहता में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता,



बल्कि वह कुछ अधिक ही संगीन और विकराल होती जाती है और अनुचित उपाय रिसते घाव पर मामूली फाहे की भांति ही रहता है, रोग के निवारण से उसका कोई सीधा संबंध नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में रोग बढ़ते रहने के साथ-साथ तकलीफ़ें भी बढ़ती जाती हैं।

यदि कोई उपाय यह जानकर और इस आशा के साथ अपनाया जाता है कि वह समस्या का उचित समाधान कर देगा, तो वह उसी रूप में फलदायी हो सकता है जब हल बताने वाला, इन्सान की मौलिक प्रकृति और उसकी सभी परिस्थितियों एवं वास्तविकताओं का ज्ञाता हो और सबसे बढ़कर उसका हितैषी हो।

इन्सान चाहे कितने ही उच्च स्तर का हो और चाहे एक इन्सान ही नहीं, बल्कि बहुत-से श्रेष्ठ योग्यता प्रतिभावाले इन्सान मिलकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो भी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, अभिरुचियों और भेदभाव से छुटकारा पाने का उनके पास कोई मार्ग नहीं है। अतः इसकी कोई सम्भावना नहीं है कि इन्सान कोई ऐसी व्यवस्था कर सके जो वास्तव में पूर्ण रूप से न्याय और समानता पर आधारित हो। कभी ऐसा मालूम होता है कि अमुक मानव-निर्मित



व्यवस्था अच्छी है, पर शीघ्र ही उसका व्यावहारिक प्रयोग यह प्रमाणित कर देता है कि वह न्यायपूर्ण नहीं है। इसी कारण प्रत्येक मानवीय व्यवस्था कुछ समय तक चलने के बाद खोटी साबित हो जाती है और इन्सान उससे मुंह फेरकर एक-दूसरे मूर्खतापूर्ण प्रयोग की ओर क़दम बढ़ाने लगता है।

प्रत्येक इन्सानी समाज हज़ारों और लाखों लोगों से मिलकर बनता है। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति आत्मा, बुद्धि और विवेक रखता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना अलग व्यक्तित्व रखता है, जिसे फलने-फूलने और विकसित होने के लिए उपयुक्त अवसर की ज़रूरत है। उसको यदि अवसर नहीं प्राप्त होता है और व्यक्तित्व के विकास की आज़ादी नहीं होती है, तो वह कुंठित हो जाता है और उसका जीवन पशुवत हो जाता है।

रंग, नस्ल, जाति-बिरादरी के झूठे दम्भ का शिकार होकर इन्सान अपने जैसे ही इन्सानों पर अत्याचार करने लगता है और उनके लिए तरह-तरह की परेशानियां व रुकावटें खड़ी कर देता है, ताकि वे कहीं अपनी उन्नति करके उनके प्रभाव को चुनौती न देने लग जाएं। स्पष्ट है, यह घिनौनी स्वार्थपरता मानवता के लिए अत्यन्त हानिकारक है।

मनुष्य का सबसे बड़ा हितैषी, शुभचिन्तक और मददगार उसके स्रष्टा व पालनहार के सिवा कोई और नहीं हो सकता। उसे ही सारे तथ्यों का ज्ञान है। अतः यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ईश्वरीय आदेशों और शिक्षाओं की ओर रुजू करे। इस्लाम इन्सान का प्राकृतिक एवं स्वाभाविक धर्म है। इस्लाम की दृष्टि में सारी इन्सानियत एक परिवार है। इस्लाम की शिक्षा है कि सारे इन्सान एक ही समुदाय हैं। कोई इन्सान केवल विशेष जाति, रंग, नस्ल, क्षेत्र में पैदा होने से न तो उच्च, श्रेष्ठ और सज्जन कहलाने का अधिकारी है और न ही यह न्यूनता, अपमान और निकृष्टता का मानदंड है, बल्कि सारे इन्सान चाहे किसी भी जाति, रंग और नस्ल के हों आपस में भाई-भाई हैं।

क़ुरआन में है-''लोगो, हमने तुमको एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों और क़बीलों का रूप दिया, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में तुममें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित वह है जो तुम में सबसे अधिक परहेज़गार है। निश्चय ही अल्लाह (ईश्वर) सब कुछ जानने वाला और ख़बर रखने वाला है।'' (क़ुरआन, 49:13)

इन्सानों के बीच न्याय स्थापित करना और यह तय करना कि उनके लिए क्या चीज़ उचित नहीं है, इसका सही निर्धारण ईश्वर ही कर सकता है। वास्तविकता यह है कि किसी दूसरे को यह अधिकार है ही नहीं कि वह न्याय-अन्याय उचित-अनुचित का मानदंड निर्धारित करे और न ही किसी दूसरे में यह योग्यता ही पायी जाती है कि वह वास्तविक न्याय स्थापित करने, ऊंच-नीच, छूत-छात, शोषण और अत्याचार का अन्त करने एवं प्रत्येक इन्सान को सम्मानजनक जीवन जीने की उचित शिक्षा दे सके।

ईश्वर के आख़िरी पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के महानतम व्यक्तित्व के द्वारा सम्पूर्ण एवं व्यापक सद्क्रांति आई और अनेक समस्याओं, संकटों व परेशानियों से जूझती मानवता का उद्धार हुआ। एक ओर जहां विभिन्न कुरीतियों व व्यसनों का अन्त हुआ, स्त्रियों, दासों और अनाथों को भी सम्मान मिला, वहीं दूसरी ओर वंश, रंग आदि के भेदभाव का अन्त हो गया। जो अरबवासी हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के आगमन से पूर्व काले लोगों से नफ़रत करते थे, उन्होंने इस्लाम की शिक्षाएं अपना कर अपनी लोक-परलोक की जिन्दगियां सुधार ली और उनकी नफ़रतें प्रेम में बदल गईं।

आज प्रत्येक भाषा में इस्लामी साहित्य उपलब्ध है। आप किसी भी भाषा में इस्लाम की शिक्षाओं का अध्ययन करें, तो इस्लाम का सही स्वरूप आपके सामने आ सकेगा, जो सत्य मार्ग पर अग्रसर होने में आपका सहायक सिद्ध होगा।

■■

''जन्नत में वह व्यक्ति प्रवेश न करेगा जिसके दिल में कण भर भी घमंड होगा।''

एक व्यक्ति ने कहा कि आदमी पसन्द करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो और उसका जूता अच्छा हो। आप (सल्ल.) ने कहा, ''अल्लाह सौंदर्यवान है और सौंदर्य उसे प्रिय है। अहंकार तो सत्य के मुक़ाबले में इतराने और लोगों को हेय दृष्टि से देखने का नाम है।''

(हदीस : मुस्लिम)

ISLAMIC CENTRE VELLORE

इस्लामोफ़ोबिया : मंथन का मौक़ा



मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

संयुक्त राष्ट्र में बीते माह एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके, अनुसार, हर साल 15 मार्च को इस्लामोफ़ोबिया के ख़िलाफ़ लड़ाई के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) द्वारा पेश किया गया यह प्रस्ताव, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक़, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, पाकिस्तान, क़तर, सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और यमन द्वारा समर्थित था।

इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य उद्देश्य प्रायोजित अभद्र भाषा और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भेदभाव को कम करना, धार्मिक प्रतीकों और प्रथाओं के लिए सम्मान के साथ ही धर्म या विश्वास के आधार पर सभी प्रकार की असहिष्णुता और भेदभाव को समाप्त करना बताया जा रहा है। आसान शब्दों में कहा जाए, तो अब हर साल 15 मार्च को पूरी दुनिया इस्लामोफ़ोबिया विरोधी दिवस मनाएगी, क्योंकि, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मानना है कि पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह व्याप्त है। इससे पहले पिछले

साल दिसम्बर में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वैश्विक स्तर पर इस्लामोफ़ोबिया से लड़ने के लिए एक बिल को मंज़ूरी दी थी।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित यह प्रस्ताव और इस्लामोफ़ोबिया से जुड़े घटनाक्रमों ने इसे एक बार फिर बहस का मुद्दा बना दिया है। सतर्क इसलिए हो जाना चाहिए कि अब इस बहस की आग में नफ़रत का घी डालने का काम वो तबक़ा कर रहा है जो पढ़ा-लिखा है, साधन संपन्न है और कई जगहों पर तो अपने देश की सत्ता पर भी विराजमान है। जाने-अनजाने जनसाधारण इन घटनाओं को उन्हीं के नज़रिये से देखने लगता है। लोग उनके कथित बुद्धिवाद के शिकार बन रहे हैं। प्रोपेगेंडा और बिकाऊ मीडिया उनके इस कृत्य में मुख्य सहभागी बन रहा है।

वर्तमान में इस्लामोफ़ोबिया के रूप में जो कुछ फैलाया जा रहा है, उसे पूरी गहराई से जानना और समझना होगा। इस्लामोफ़ोबिया की जड़ें कहां हैं? इसके पोषक कौन लोग हैं? इस बात को समझने की ज़रूरत है। किसी पूरे समुदाय या देश, जिसमें विचारों की भिन्नता हो, के नागरिकों और व्यवस्था की मूल भावना पर हमले होने लगें तो इस पर गहन मंथन किया जाना नितांत आवश्यक हो जाता है।

इस्लामोफ़ोबिया का यह माहौल दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं के लिए कितना घातक होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह मानवीय मूल्यों को असीमित नुक़सान पहुंचाएगा, इतना तय है। यानी स्थितियों के और जटिल व ख़तरनाक होने की आशंका है। यह कहा जा सकता है कि इस्लामोफ़ोबिया के ख़िलाफ़ रणनीति बनाई जा सकती है। उन्हें कम किया जा सकता है, लेकिन लड़ाई इतनी छोटी और आसान नहीं है।

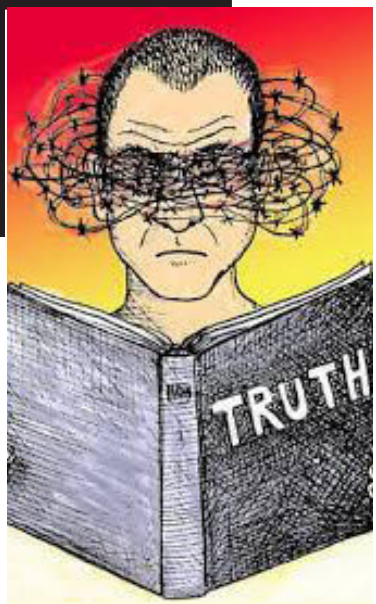

वर्तमान में इस्लामोफ़ोबिया के रूप में जो कुछ फैलाया जा रहा है, उसे पूरी गहराई से जानना और समझना होगा। इस्लामोफ़ोबिया की जड़ें कहां हैं? इसके पोषक कौन लोग हैं? इस बात को समझने की ज़रूरत है। किसी पूरे समुदाय या देश, जिसमें विचारों की भिन्नता हो, के नागरिकों और व्यवस्था की मूल भावना पर हमले होने लगें तो इस पर गहन मंथन किया जाना नितांत आवश्यक हो जाता है।

बीसवीं सदी के अंतिम दशक के अंतिम वर्षों में अंग्रेज़ी शब्दकोष में नया शब्द 'इस्लामोफ़ोबिया' जुड़ गया। सामान्यतः इस्लामोफ़ोबिया (islamophobia) से तात्पर्य इस्लाम या मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है-इस्लाम और फोबिया, जिसका हिंदी में मतलब होता है इस्लाम का डर। इस शब्दावली का प्रयोग मुख्यतः पश्चिमी देशों द्वारा किया जाता है। इस्लामोफ़ोबिया शब्द का दायरा और सटीक परिभाषा बहस का विषय है। फ़ोबिया शब्द मनोविज्ञान का एक प्रचलित शब्द है, जिसे किसी वस्तु, जीव या किसी विशेष स्थिति के प्रति डर के लिए प्रयोग किया जाता है।

सरल शब्दों में यदि कहें तो इस्लाम से अकारण चिढ़ को 'इस्लामोफ़ोबिया' कहा जाता है। इस्लाम या मुसलमानों के प्रति भय, घृणा या पूर्वाग्रह, ख़ासकर जब इसे एक भू-राजनीतिक बल या आतंकवाद के स्रोत के रूप में देखा जाने लगे और सुनियोजित तरीक़े से इसको प्रचारित किया जाने लगे।

ग़ौरतलब है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर '09/11' के हमलों के बाद वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 'वॉर ऑन टेरर' (आतंक के विरुद्ध लड़ाई) का ऐलान किया। तब आमतौर पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इस्लाम विरोधी शक्तियों द्वारा 'आतंक' को इस्लाम के मूल सिद्धांत के रूप में प्रचारित किया जाने लगा। उसी दौर में यह जुमला भी प्रचलन में लाया गया कि 'सब मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सभी आतंकवादी मुसलमान होते हैं।'

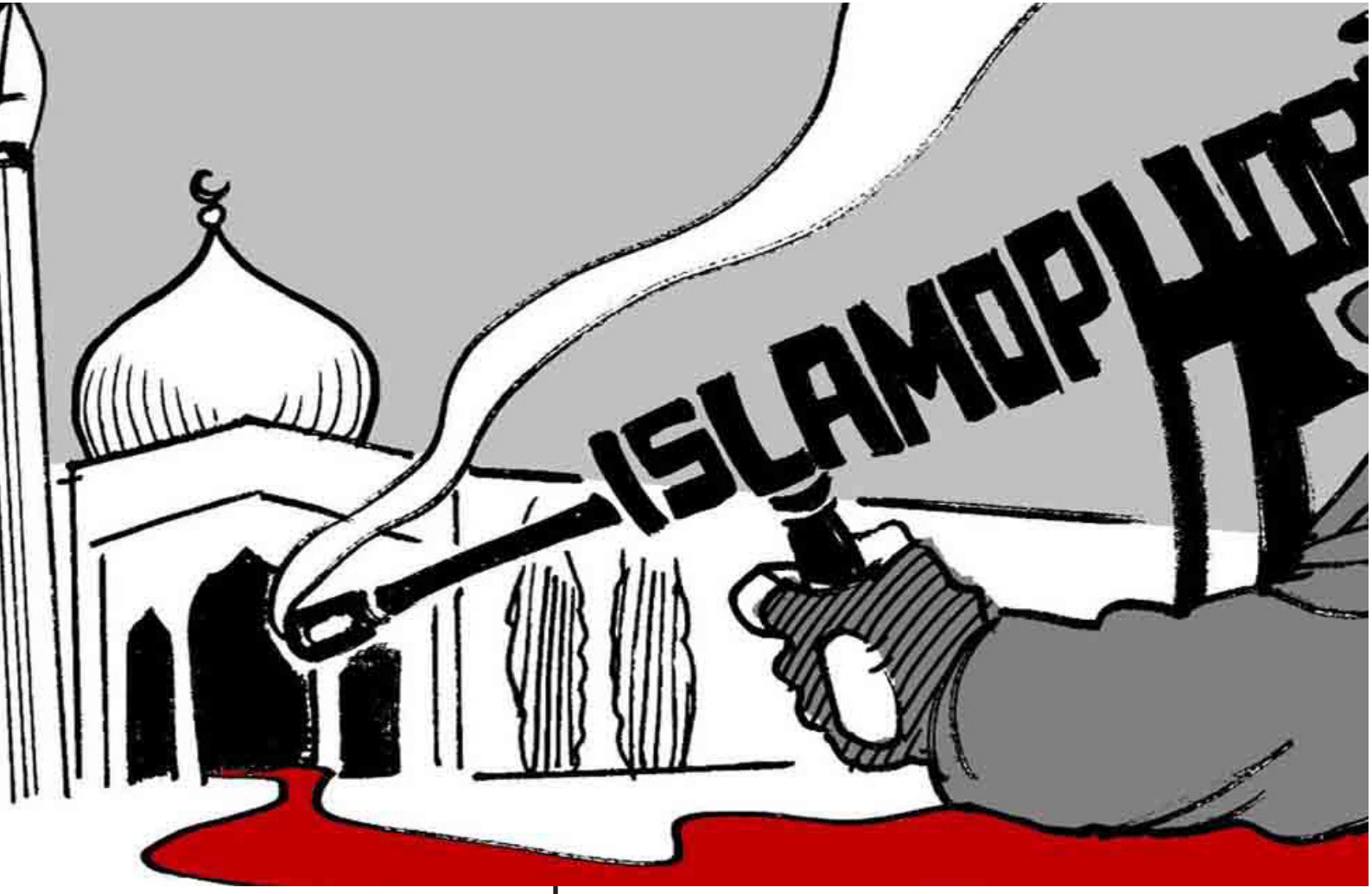

एक तरह का जनमत बनाने का प्रयास किया जाने लगा कि इस्लाम आक्रामक धर्म है और उसकी आक्रामकता को जवाबी आक्रामकता से ही ख़त्म किया जा सकता है। इस्लाम और इसके मानने वालों को शक की निगाह से देखा जाने लगा। मस्जिदों और मदरसों की निगरानी बढ़ा दी गई और कहा जाने लगा कि इस्लाम और इस्लाम धर्म को मानने वालों को ख़ुद को बदलना होगा। इस तरह से फैलाए गए इस्लामोफ़ोबिया का परिणाम भारत समेत दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सामने आने लगा। इस्लाम विरोधी शक्तियों को इस्लाम और मुसलमानों को निशाने पर लेने का ज़रिया मिल गया।

आज भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इस्लामोफ़ोबिया से जुड़ा आए दिन कुछ न कुछ विशेष घटित होता है। यहां मक़सद उनका लेखा-जोखा प्रस्तुत करना नहीं है, सिर्फ़ यह बताने का प्रयास है कि ज़ाहिरी तौर पर

हमारे ही देश में अक्सर धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों और दलितों पर हमले होते रहते हैं। इन मामलों में कभी आलोचना का केंद्र बिंदु धर्म विशेष नहीं होता, धार्मिक पुस्तकें और धर्मगुरु नहीं होते। तो फिर इस्लाम, क़ुरआन और पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) क्यों?

तो तमाम घटनाएं अलग-अलग प्रतीत होती हैं, लेकिन यदि गहनता से ग़ौर किया जाए तो इनकी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। घटनाओं को उनकी संपूर्णता में देखें तो उनकी आड़ में किया जाने वाला छल समझ में आने लगता है।

उल्लेखनीय है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के नज़दीक पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) से ज़्यादा सम्माननीय कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है। वे किसी भी हालत में उनके अपमान को सहन नहीं कर पाते, इसके बावजूद भारत, फ्रांस और डेनमार्क जैसे देशों में बार-बार उनके अपमान किए जाने की घटनाएं सामने क्यों आती रहती हैं? विशेषकर फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली हेब्दो का तो यह पसंदीदा कृत्य रहा है। हर चंद साल के अंतराल के बाद यह मैगज़ीन इस तरह का बखेड़ा खड़ा करती है।

इसके फ़रवरी-2006, नवम्बर-2011, सितम्बर-2012, जनवरी-2015 और सितम्बर-2020 में प्रकाशित अंकों में पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के कार्टून से

दुनिया भर में विवाद खड़ा हुआ। जान-बूझकर मुहम्मद (सल्ल.) का कार्टून बनाकर मज़ाक़ उड़ाना, उनका अपमान करना और इसके ज़रिये मुसलमानों की आस्था को चोट पहुंचाने को अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ लेकर कभी भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। उकसाने और भड़काने वाले कृत्य को कभी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता। अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा भी वहां समाप्त हो जाती है, जहां किसी की भावनाएं आहत हों। फिर चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो।

किसी हिंसक, आतंकवादी या अप्रिय घटना होने पर उस घटना को अंजाम देने वालों की निंदा होनी चाहिए और उन्हें उनकी करनी का दंड दिया जाना चाहिए, परंतु हिंसक घटनाओं की आड़ में पूरे मुस्लिम समुदाय पर हिंसक और क्रूर होने का आरोप मढ़ दिया जाता है। मुसलमानों के साथ होने वाली बौद्धिक हिंसा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम दे दिया जाता है। पहले मुसलमानों को उकसाया जाता है, जब वे हिंसक प्रतिक्रिया जताते हैं तो इस्लाम विरोधी तर्क रखते हैं कि मुसलमान हिंसक होते हैं। इस प्रकार मुसलमानों से चूक कराने के बाद उसी आधार पर वे मुसलमानों को हिंसक साबित करने लग पड़ते हैं। इस खेल में बड़ी चालाकी से मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम किया जाता है।

हमारे ही देश में अक्सर धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों और दलितों पर हमले होते रहते हैं। इन मामलों में कभी आलोचना का केंद्र बिंदु धर्म विशेष नहीं होता, धार्मिक पुस्तकें और धर्मगुरु नहीं होते। तो फिर इस्लाम, क़ुरआन और पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) क्यों?

जो इस्लाम को हिंसक साबित करने में लगे हुए हैं वे क़ुरआन की आयतों को उद्धृत करते हैं, लेकिन यह उद्धृण संदर्भ से हटकर किया जाता है। यदि अन्य धार्मिक पुस्तकों से भी ऐसे ही संदर्भ से हट कर कुछ बातें ले ली जाएं तो परिणाम एक समान ही होगा। ऐसी बातें बाइबल में भी मिल सकती हैं, तौरात में और गीता में भी मिल सकती हैं, लेकिन क्या इससे साबित होता है कि इन पवित्र पुस्तकों के अनुयायी हिंसक होते हैं?

तमाम धर्मों में गुमराह व्यक्ति हो सकते हैं। उनके अच्छे या बुरे कार्यों से उनके विश्वास या धर्म का कोई लेना-देना नहीं होता। ऐसे मामलों में सभी धर्म के धर्मावलंबियों को किसी भी प्रकार के अतिवाद से बचना चाहिए। क्या यह उचित नहीं होगा हम धार्मिक मामलों में विवेकशीलता और संवेदनशीलता को अपनाएं।

समय की मांग है कि मुसलमानों को सूझ-बूझ और संयम से काम लेना चाहिए। हिंसक रूप में प्रतिक्रिया जताने के बजाय मुसलमानों को विवेकशीलता का परिचय देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह कि किसी विचार का उत्तर विचार से दिया जाना चाहिए। तर्क का जवाब तर्क से और उकसावे के बदले विवेक का परिचय दिया जाना चाहिए। इस्लामोफ़ोबिया के प्रति प्रतिक्रिया जताते समय भी उन्हें इस धारणा को मज़बूत करने के बजाय कमज़ोर करने पर ध्यान देना चाहिए।



मुसलमानों को समझना होगा कि वे किसी भी प्रकार के उकसावे में न आएं। मुसलमानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस्लाम विरोधियों द्वारा तैयार किए गए दुष्चक्र का शिकार न होने पाएं। मुसलमान अपने पैग़म्बर के जीवन को देखें तो पाएंगे कि वे बेहद धैर्यवान और क्षमावान थे। इससे मुसलमान जान और समझ सकते हैं कि किसी प्रकार के उकसावे के प्रति कैसी प्रतिक्रिया जतायी जा सकती है। बेशक बदलाव आसान नहीं है, लेकिन मंथन का मौक़ा यही है।

■■



एक काल्पनिक भय का दुष्प्रचार

विवेचना



संपादन प्रभाग

इस्लामोफ़ोबिया-अर्थात् इस्लाम तथा मुसलमानों के विरुद्ध नकारात्मक सोच पैदा करना-आज विश्व स्तर पर एक अभियान का रूप ले चुका है। इस्लामोफ़ोबिया वास्तव में इस्लाम तथा मुसलमानों के प्रति फ़र्ज़ी डर पैदा करना है। इस डर के द्वारा नफ़रत दुश्मनी दुर्भावना तथा नस्लवादी भेदभाव को बढ़ावा देकर मुसलमानों की छवि बिगाड़ने का उद्देश्य है और यह सिद्ध करने का प्रयास है कि ये लोग समाज के लिए हानिकारक हैं। जब यह सोच समाज में फैलने लगती है तो मुसलमान तथा उनका संपूर्ण कल्चर हमले की चपेट में आ जाते हैं, तर्क, विवेक एवं वास्तविकता कहीं गुम हो जाती है तथा केवल भावनाओं के सहारे समाज में भय का वातावरण पैदा कर दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि देखने को मिली है। इसके पीछे पश्चिमी देशों के सदियों पुराने पूर्वाग्रह भी हैं और कुछ नई 'ज़रूरतें एवं उद्देश्य भी हैं ताकि इस्लाम की अच्छी छवि लोगों की दृष्टि से ओझल रहे तथा मुसलमानों को भय के इस वातावरण में दबाव में रखकर वे अपने आर्थिक एवं राजनैतिक एजेंडे को लागू कर सकें।

यद्यपि अभियान को अभी उतनी सफलता नहीं मिली जितना उसके प्रायोजक चाहते हैं, बल्कि इसके विपरीत इस्लाम को जानने की जिज्ञासा और स्वीकृति बढ़ी है, पश्चिम में इस नकारात्मक प्रचार से इस्लाम चर्चा का विषय बना और ग़ैर-मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इस्लामोफ़ोबिया एवं नस्लवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा मुसलमानों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया। कनाडा एवं न्यूज़ीलैंड इसके उदाहरण हैं। चर्च तथा दलाईलामा के वक्तव्य भी सराहनीय हैं। फिर भी क्योंकि एक निराधार एवं नकारात्मक सोच बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही है और यह सिलसिला जारी है, इसलिए इसके

उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को समझना प्रत्येक न्यायप्रिय व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जिससे मानवजाति विशेषकर हमारे देशवासी समय रहते सतर्क हो जाएं।

डेढ़ हज़ार वर्ष पूर्व हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के द्वारा जिस सामाजिक क्रांति की स्थापना हुई उससे आम लोगों ने सुख-शांति, बराबरी न्याय तथा हमदर्दी की ठंडी छांव को महसूस किया, परन्तु घमंडी तानाशाहों तथा पूर्वाग्रहों से पीड़ित संकीर्ण मानसिकता रखने वालों ने इस्लाम का विरोध किया और दुश्मनी पर उतर आए, यहां तक कि जंग पर भी आमादा रहे। इधर गत शताब्दी में दो 'इज़्म' कम्यूनिज़्म तथा कैपिटलिज़्म (पूंजीवाद) का विश्व स्तर पर उदय हुआ। सोवियत यूनियन के बिखराव के पश्चात कम्यूनिज़्म का जादू समाप्त हो गया तथा पूंजीवादी प्रणाली के स्वाभाविक दोषों के चलते सामाजिक समस्याएं आर्थिक संकट तथा राजनैतिक अस्थिरता आदि के कारण यह प्रणाली भी अपना प्रभाव खोने लगी और एक वैचारिक शून्यता (Ideological Vacuum) सी प्रतीत होने लगी। यही वह समय था जब इस्लाम एक प्रणाली या व्यवस्था(System or Order)की हैसियत से सामने आया तथा उच्च स्तरीय अकादमिक शोध के द्वारा विश्व की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था (Effective alternative system) के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा, जिसकी अनेक ग़ैर-मुस्लिम प्रतिष्ठित विद्वानों एवं बुद्धिजीवियों ने सराहना की और मुस्लिम विद्वानों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का समर्थन एवं अनुमोदन किया। परन्तु यही चीज़ कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस्लाम के योगदान को स्वीकारने के बजाय उसे अपने कल्चर के लिए ख़तरा समझा। यहीं से इस्लामोफ़ोबिया या इस्लाम के प्रति डर पैदा करने और मानव विरोधी दर्शाने की शुरुआत हुई। इस विषय पर लेख तथा किताबें भी सामने आईं जिनमें Samuel Huntington की पुस्तक Clash of Civilizations (सभ्यताओं का टकराव) प्रमुख है। लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि भविष्य में विश्व की नौ सभ्यताओं में से आठ सभ्यताएं एक ख़ेमे में होंगी, जिनका मुक़ाबला



इस्लामी सभ्यता से होगा। अर्थात् पश्चिम ने यह डर उत्पन्न किया कि अब टकराव इस्लाम और मुसलमानों से है और उनकी सभ्यता को अब अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वह इस्लाम है। यह है इस्लामोफ़ोबिया की पृष्ठभूमि।

स्पष्ट है कि इस्लामोफ़ोबिया, इस्लाम तथा मुसलमानों के विरुद्ध भय, घृणा एवं पूर्वाग्रह की सोच पैदा करना है। प्रचार-प्रसार एवं प्रोपगैंडे के द्वारा कुछ झूठे एवं निराधार आरोप इस्लाम तथा मुसलमानों से जोड़ दिए गए हैं, जैसे हिंसा, कट्टरता, मुख्यधारा से अलगा, अपने धर्म के प्रति अति संवेदनशीलता तथा आतंकवाद का समर्थन आदि। मीडिया द्वारा इस्लामोफ़ोबिया को ख़ूब उछाला गया। अमेरिका की 9/11 की घटना के बाद इसमें और वृद्धि हुई। विश्व स्तर पर इस्लाम विरोधी लॉबी सक्रिय है, जिसने इस्लाम के प्रति 'भय' पैदा करने में कोई क़सर नहीं उठा रखी। कुछ सीधे-सादे लोग इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जानकारी के अभाव में प्रोपगेंडे तथा भ्रांति का शिकार होकर भयभीत हो जाते हैं तथा वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते। इस प्रकार इस्लाम तथा मुसलमानों की अत्यन्त डरावनी तस्वीर प्रस्तुत की गई और मुसलमान नफ़रत, तिरस्कार और भेदभाव का शिकार हुए। इस्लामोफ़ोबिया मुसलमानों की नई पीढ़ी के सामने एक बड़ी रुकावट है तथा उनके मानवाधिकारों का हनन है।

हमारा देश भी इस्लामोफ़ोबिया के इस वैश्विक अभियान से अछूता नहीं रह सका। यहां भी इस्लाम और मुसलमानों के प्रति नकारात्मक सोच का प्रचार किया गया और घृणा, भय, दुश्मनी तथा पूर्वाग्रह को बढ़ावा दिया गया। यहां डर का यह वातावरण मुसलमानों के प्रति ही अधिक है, जबकि इस्लाम, क़ुरआन और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के प्रति अधिकांश ग़ैर-मुस्लिम भाई श्रद्धा भाव रखते हैं।

मुसलमानों से नाराज़गी के पीछे कुछ ऐतिहासिक तथा राजनैतिक कारण हैं। आठ सौ साल के मुस्लिम शासनकाल की कुछ कमियां भी रही होंगी। अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में उन्हें उजागर करने के साथ असंख्य झूठी मनगढ़ंत घटनाएं भी इतिहास का हिस्सा बनाकर प्रस्तुत कर दीं ताकि दो

बड़े समुदाय आपस में लड़ते रहें तथा वे हुकूमत करते रहें। स्वतंत्रता आन्दोलन में दोनों समुदाय बराबर से संघर्षरत रहे, इसलिए उम्मीद थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अंग्रेज़ों द्वारा फैलाई गई कटुता पर क़ाबू पा लिया जाएगा, परंतु देश के विभाजन का आपसी संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्र भारत में हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए, परिणामस्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए और बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। इधर कुछ वर्षों से सत्ता के ध्रुवीकरण के लिए मुस्लिम दुश्मनी का प्रयोग किया गया और उससे सत्ता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त भी हुआ, परन्तु समाज को घोर आघात पहुंचा। न्याय, हमदर्दी तथा मानवता इस नकारात्मक मानसिकता की भेंट चढ़ गए और भीड़ द्वारा हिंसा (Mob Lynching) के रूप में सभ्य समाज के दामन पर दाग़ लग गया। इस कुकृत्य में लिप्त लोगों को सम्मानित करने और इस पर सभ्य समाज के मूकदर्शक बने रहने ने भी अनेक प्रश्न खड़े कर दिए। इस सब में मीडिया की भूमिका अत्यंत नकारात्मक रही। पाठ्य-पुस्तकों एवं शैक्षिक संस्थाओं में भी नई पीढ़ी के मन में 'नफ़रत' के बीज बोए गए।

सवाल उठता है कि वह बिन्दु क्या है, जिन्हें आधार बनाकर नफ़रत और दुश्मनी का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें मुख्यतः जिहाद, हिंसा, गौ-हत्या, लव-जिहाद, तलाक़ जनसंख्यावृद्धि तथा इस्लामी रीति-रिवाज निशाने पर है। क़ुरआन के जिहाद संबंधी आदेशों को संदर्भ तथा प्रसंग से अलग करके मुसलमानों को हिंसा के पोषक के रूप में प्रस्तुत करने की मुहिम बहुत पुरानी है। समय-समय पर यह आरोप दोहराया जाता है कि इस्लाम तलवार के द्वारा



आतंक या किसी भी प्रकार की हिंसा या देश के विरुद्ध कार्य का मुस्लिम समाज ने कभी समर्थन नहीं किया। जहां तक धर्मान्तरण एक स्वाभाविक क्रिया है, इसमें ज़ोर-ज़बरदस्ती इस्लामी क़ानून के विरुद्ध है। इसको मुद्दा बनाकर लव-जिहाद की नई शब्दावली गढ़ी गई जो वास्तविकता से परे हैं। तलाक़ एक अप्रिय चीज़ होते हुए भी समाज की एक आवश्यकता है इसलिए इस्लाम अपरिहार्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति देता है।

अर्थात् बलपूर्वक फैलाया गया। इस आरोप का स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण उत्तर दिया जाता रहा है। दिव्य क़ुरआन में किसी भी इन्सान की नाहक़ हत्या को संपूर्ण मानवजाति की हत्या के बराबर बताया गया है (5:32)। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की जीवनी भी इस पर गवाह है। जहां तक बल प्रयोग का प्रश्न है, विश्व की अन्य व्यावहारिक व्यवस्थाओं एवं सभ्यताओं की भांति इस्लामी क़ानून भी मानवजाति के हित में केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में अंतिम विकल्प के रूप में बल प्रयोग की अनुमति देता है, वह भी एक ज़िम्मेदार सत्ता की देख-रेख में तथा नियम-क़ानून की पाबन्दियों के अन्तर्गत।

आतंक या किसी भी प्रकार की हिंसा या देश के विरुद्ध कार्य का मुस्लिम समाज ने कभी समर्थन नहीं किया। इसी प्रकार गौ हत्या का मामला उठाया गया, जिसे आज तक गरमाया जा रहा है। इसमें भी तथ्य कम तथा राजनीति अधिक है। जहां तक लव-जिहाद का मामला है, धर्मान्तरण एक स्वाभाविक क्रिया है, इसमें ज़ोर-ज़बरदस्ती इस्लामी क़ानून के विरुद्ध है। इसको मुद्दा बनाकर लव-जिहाद की नई शब्दावली गढ़ी गई जो वास्तविकता से परे है। तलाक़ एक अप्रिय चीज़ होते हुए भी समाज की एक आवश्यकता है इसलिए इस्लाम अपरिहार्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति देता है। यही कारण है कि इसकी उपयोगिता को समझकर अन्य समाजों ने भी तलाक़ का प्रावधान किया है। अब जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि आंकड़े गवाह हैं कि मुसलमानों की वृद्धि दर हिन्दुओं की वृद्धि दर की तुलना में कम है। मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं अज़ान, नमाज़, पर्सनल लॉ, पर्दा तथा संस्थाओं, मस्जिद, मदरसे, क़ब्रिस्तान आदि पर आक्षेप किए गए।

इसी के साथ अनेक काल्पनिक आरोप मुसलमानों से जोड़ दिए गए, जैसे-भारत की ग़रीबी के लिए मुस्लिम शासक ज़िम्मेदार हैं, मुस्लिम शासकों ने बहुत अत्याचार किए, मंदिरों को ध्वस्त किया, मुसलमान विभाजन के ज़िम्मेदार हैं, आदि-आदि। यह और इस प्रकार के सभी काल्पनिक आरोपों का निराधार होना सिद्ध किया जा चुका है। परन्तु इन बातों की पुनरावृत्ति समाप्त नहीं होती। इन धारणाओं एवं इस मानसिकता को तैयार करने में ज़हरीले भाषणों (Hate Speeches)की बड़ी भूमिका है।

■■

कैसी हो हमारी प्रतिक्रिया



विश्लेषण



नईम अलहिन्दी

अंग्रेज़ी शासनकाल में नॉर्थ-वेस्ट प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे विलियम म्यूर नामी स्कॉटिश विद्वान ने 'दि लाइफ़ ऑफ़ मुहम्मद' के नाम से एक विवादास्पद किताब लिखी। इसमें पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) को लेकर अपमानजनक बातें लिखी गईं। दुनिया भर में इसका विरोध हुआ। उस समय भारत में सर सैयद अमद ख़ान का एक बड़ा नाम और प्रभाव था। अपने भाषणों और लेखों के ज़रिये मुसलमानों के बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले सर सैयद चाहते तो उनकी एक आवाज़ पर गुस्ताख़े-रसूल विलियम म्यूर के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो जाता। मगर उन्होंने विरोध का सभ्य तरीक़ा चुना और दुनिया भर के मुसलमानों के सामने मिसाल पेश की कि असहमति में हिंसा की कोई जगह नहीं है।

धैर्य, संयम और शालीनता का परिचय देते हुए सर सैयद ने 1870 में इंग्लैंड का दौरा किया और उस ब्रिटिश म्यूज़ियम में गए जिसके अभिलेखों का हवाला देकर म्यूर ने पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) को निशाना बनाया था। सर सैयद ने वहां गहन अध्ययन कर पैग़म्बर मुहम्मद पर लगाए आरोपों का जवाब दिया और उसे कई समाचार-पत्रों व पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया। उनके ये लेख बाद में 'ख़ुत्बाते-अहमदिया' के नाम से किताबी शक्ल में प्रकाशित हुए।



म्यूर
क ो
आ ख़िर क ार
अपने किए का पछतावा हुआ और उसे क्षमा मांगने के लिए विवश होना पड़ा।

इसके विपरीत वर्ष 1988 जब ऐसा हुआ कि सलमान रुश्दी ने अपने उपन्यास 'सेटेनिक वर्सेज' को मार्केट में उतारा तो विश्व मुस्लिम समुदाय में बवंडर आ गया। कारण था की रुश्दी ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के विषय में बहुत-सी विवादित बातें लिखीं। ये बातें ऐसी थीं कि जो बर्दाश्त से बाहर थीं। इस पुस्तक का पूरे विश्व में बहिष्कार किया गया और साथ ही रुश्दी की गर्दन पर पुरस्कार रख दिया गया कि जो भी उसका वध करेगा उसे करोड़ों रुपये से मालामाल किया जाएगा।

मुसलमानों द्वारा इस प्रकार की प्रतिक्रिया को उस समय के कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने अनुचित बताया था। इन्हीं बुद्धिजीवियों में से एक थे उस समय के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कार्यवाहक कुलपति मुशीरुल हसन। इस समस्या को लेकर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस थर्ड रेट पुस्तक पर इतना बवाल मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह कि इस पुस्तक पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। उन्होंने यही कहा था कि जिस वस्तु की कोई पूछ ही नहीं होती, वह अपनी मौत अपने आप मर जाती है। अतः समय की मांग है कि इसका ज़िक्र भी न किया जाए, क्योंकि यह एक घटिया पुस्तक है। हां यदि इसको जलाया गया और इसके विरुद्ध जलसे-जुलूस किए जाएंगे तो लोगों का इस पर ध्यान जाएगा और बिना ख़र्चा किए ही इसकी पब्लिसिटी होगी। मुशीर के इस बयान के बाद उनके विरुद्ध भी काफ़ी लोग खड़े हो गए और उन्हें तरह-तरह की धमकियां दी गईं। मुसलमानों द्वारा इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं फ्रांस और डेनमार्क में कार्टून विवाद के बाद भी सामने आईं।

मुसलमानों की अविवेकपूर्ण प्रतिक्रियाओं को इस्लाम विरोधी एक अवसर के रूप में देखते हैं। कुछ अतिवादी लोगों द्वारा किए गए कृत्यों के आधार पर न केवल पूरे मुस्लिम समाज बल्कि क़ुरआन और इस्लाम की छवि को भी बट्टा लगाने का प्रयास शुरू हो जाता है।

मुसलमानों की अविवेकपूर्ण प्रतिक्रियाओं को इस्लाम विरोधी एक अवसर के रूप में देखते हैं। कुछ अतिवादी लोगों द्वारा किए गए कृत्यों के आधार पर न केवल पूरे मुस्लिम समाज बल्कि क़ुरआन और इस्लाम की छवि को भी बट्टा लगाने का प्रयास शुरू हो जाता है।

यह सही है कि मुसलमानों का अपने पैग़म्बर का अपमान होता देख,

यह सही है कि मुसलमानों का अपने पैग़म्बर का अपमान होता देख, उसे सहन करना बेहद कठिन है, लेकिल मुसलमानों को होश के नाखून उगाने होंगे। ऐसे मामलों उन्हें किसी भी प्रकार के अतिवाद से बचना चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया ऐसी हो जिससे मानवीय संवेदनशीलता के साथ-साथ मानवीयता का संचार हो ताकि लोगों में सच्चाई की समझ व्यापक हो सके।



उसे सहन करना बेहद कठिन है, लेकिल मुसलमानों को होश के नाख़ून उगाने होंगे। ऐसे मामलों में उन्हें किसी भी प्रकार के अतिवाद से बचना चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया ऐसी हो जिससे मानवीय संवेदनशीलता के साथ-साथ मानवीयता का संचार हो ताकि लोगों में सच्चाई की समझ व्यापक हो सके।

प्रत्येक धार्मिक समुदाय में असहिष्णु, अतिवादी, कट्टर, दकियानूसी और हिंसक लोग होते हैं। हर धर्म के मानने वाले अपने धर्म की शिक्षाओं और मूल्यों के ख़िलाफ़ कार्य करते हैं। मुसलमानों में भी ऐसा है, लेकिन अन्य समुदाय में ऐसे तत्वों के किए-धरे के लिए समूचे समुदाय को कठघरे में खड़ा नहीं किया जाता जैसे कि मुस्लिम समुदाय को किया जता है। मुस्लिम कट्टरपंथी के किसी कृत्य के लिए समूचे समुदाय को उसके अपराध के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाने लगता है। यह महत्वपूर्ण बात है, इसे समझने की ज़रूरत है।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) का जीवन तमाम मुसलमानों के लिए एक आदर्श है। दूसरी तरफ़ उनके पास क़ुरआन है जो समूची मानवता को रास्ता दिखाने वाली पुस्तक है। क़ुरआन में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि-

ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह (ईश्वर) के लिए औचित्य पर क़ायम रहने वाले और इन्साफ़ की गवाही देने वाले बनो। किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना उत्तेजित न कर दे कि तुम इन्साफ़ से फिर जाओ। इन्साफ़ करो, यह ईशभक्ति और विनम्रता के अधिक अनुकूल है। (क़ुरआन, 5:8)

हमें चाहिए कि हम पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाओं और उनके जीवन से सबक़ हासिल करें। उनकी शिक्षाओं से हमें माफ़ करने और नज़रअंदाज़ करने की सीख मिलती है। पैग़म्बर के जीवनकाल में ही उनको तरह-तरह की यातनाएं दी गईं। नमाज़ की हालत में भी उनके दुश्मन उनके ऊपर जानवरों की ओझड़ी रख देते। तायफ़ शहर में बदमाशों ने उन्हें पत्थर मारे। मक्का में जब आप नमाज़ के लिए निकलते तो आप पर एक बुज़ुर्ग महिला कूड़ा डाल देती। एक दिन ऐसा न हुआ। जब पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) को पता चला कि उन पर कूड़ा फेंकने वाली महिला बीमार हो गई है, बिस्तर पर पड़ी है, तो वे उसका हाल जानने उसके घर पहुंचे और उसके जल्द स्वस्थ होने की दुआ की। उनके ऐसे आचरण से उनके दुश्मन भी उनके दोस्त बन जाते। हमें चाहिए कि हम पैग़म्बर की तरह करुणा का सबब बनें। हिंसा और उत्तेजना से गुरेज़ करे, लोगों के दिलों को जीतें। नफ़रत का जवाब होशमंदी से दें और पैग़म्बर की शिक्षाओं, आदर्श और उसूलों को आम कर दें ताकि उनकी शान में ग़ुस्ताख़ी करने वाले का हमें बहिष्कार न करना पड़े बल्कि दुनिया के तमाम लोग ख़ुद ही ऐसे लोगों को बहिष्कृत कर दें। ■■

समाधान



संपादन प्रभाग

क़ानून का शासन और ग़लतफ़हमियों का निवारण

इस्लाम तथा मुसलमानों के प्रति भय, घृणा तथा दुश्मनी का माहौल पैदा करना, कुछ लोगों के राजनैतिक हित में हो सकता है तथा कुछ लोगों के पूर्वाग्रहों की पूर्ति कर सकता है, उन्हें क्षणिक सुख दे सकता है, परंतु नई पीढ़ी में देश के एक बड़े समुदाय के प्रति दुर्भावना भर देना, किसी भी स्थिति में देश हित में नहीं होगा। भारत विश्व में एक समृद्ध शक्तिशाली एवं नेतृत्व क्षमता रखने वाले राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। यहां मानव संसाधन विशेषकर युवा वर्ग हैं, अच्छी शिक्षण संस्थाएं हैं, अपार प्राकृतिक संसाधन हैं। इन सबके बलबूते हमारा देश, विश्व मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बना सकता है। बशर्ते कि देश का राजनैतिक एवं सामाजिक वातावरण शांतिमय हो, यहां क़ानून का शासन हो, इन्साफ़ को सर्वोपरि रखा जाए तथा सभी धर्मों और उनके अनुयायियों को समान दृष्टि से देखा जाए। यही भारत की आत्मा है और यही हमारा संविधान कहता है। भेदभाव किसी के साथ न हो, नफ़रत को बढ़ावा न दिया जाए, किसी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर फ़ैसले न लिए जाएं। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर कोई अंतर न हो। परस्पर भाईचारे, सौहार्द एवं सहयोग के सिद्धांत को अपनाकर भारत निश्चित रूप से विश्व स्तर पर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।

इस्लाम धर्म से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह सब धर्मों के आदर की शिक्षा देता है एवं सभी धर्म ग्रंथों को मान्यता देता है (क़ुरआन, 2:4)। सभी धर्म गुरुओं/ईशदूतों में आस्था का आदेश देता है (क़ुरआन, 2:285)। यह भी आदेश देता है कि धर्म के मामले में ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं (क़ुरआन, 2:256)। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को संपूर्ण ब्रह्माण्ड के लिए रहमत और दयालुता बताया गया है (21:107)। उनकी शिक्षाएं संपूर्ण मानवजाति

कान्ति मासिक 25 जुलाई-2022

के लिए हैं। संस्कृत के विद्वानों के शोधानुसार, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के आगमन की भविष्यवाणी भारतीय धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है (देखिये पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय के शोध)। क़ुरआन की शिक्षाएं समस्त इन्सानों के लिए हैं। ईश-भक्ति, ईशपरायणता, परलोक में मोक्ष की प्राप्ति, संसार में इन्साफ़, बराबरी, शोषण-मुक्त, प्रेम तथा दया-भाव से परिपूर्ण सामाजिक जीवन एवं समृद्ध आर्थिक वातावरण पर बल दिया गया है।

हां, प्रत्येक समाज की भांति मुस्लिम समाज में भी कुछ लोग सही सिद्धांतों से हटकर असत्य, अन्याय तथा शोषण का मार्ग अपना सकते हैं, हिंसा और आतंक जैसे कार्यों तक जा सकते हैं। ऐसे लोगों का समर्थन तो दूर उन पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही का मुस्लिम समाज ने सदा आह्वान किया है जो एक निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली के माध्यम से हो न कि भीड़ तंत्र या पूर्वाग्रहग्रस्त लोगों के द्वारा। साथ ही मुस्लिम समाज की इस ज़िम्मेदारी से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि वे समाज सुधार के कार्य को दृढ़ता से करता रहे तथा हर प्रकार की नकारात्मक सोच से लोगों को बचाए।

मुसलमानों का संपूर्ण जीवन क़ुरआन तथा हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाओं के अनुरूप हो, वे सबके लिए रहमत साबित हों, समाज तथा अपने वतन के विकास एवं उत्थान में तथा यहां अमन-शांति व सदाचार के माहौल को बनाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दें। यही इस्लाम की शिक्षा है और ईश्वर को भी यही पसन्द है।

मुसलमानों के धर्मगुरुओं, बुद्धि-जीवियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे देशवासी भाई-बहनों की भ्रांतियों को उनके मन के काल्पनिक या मीडिया द्वारा बैठाये गये भय को दूर करने का प्रयास करें तथा उन्हें वास्तविकता से अवगत कराएं। आम मुसलमान भी अपने कार्य, व्यवहार एवं आचरण द्वारा लोगों को इस्लाम की शिक्षाओं से परिचित कराएं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी न्याय के मार्ग से



विचलित न हों। किसी प्रतिक्रिया या प्रतिशोध का शिकार न हों।

जैसा कि उल्लेख किया गया कि समाज में भय, नफ़रत तथा दुश्मनी के इस वातावरण से हो सकता है कुछ लोगों को सामयिक रूप से कुछ राजनीतिक लाभ प्राप्त हो जाए, परन्तु यह देश तथा समाज के लिए घातक है। सभ्य समाज में भीड़ द्वारा हत्याएं, नवजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग, एक समुदाय विशेष को प्रत्येक मुद्दे पर दोषी मानते हुए एक 'विलेन' बनाकर पेश करना, इतिहास की मनगढ़ंत व्याख्या करना, यह प्रचारित करना कि इस्लाम और मुसलमानों में कुछ भी भला नहीं है तथा मुसलमानों के योगदान को स्वीकार करने के स्थान पर उनमें केवल बुराई ही देखना और दिखाना, कुछ गिने-चुने लोगों के अपराधों के लिए पूरे समुदाय को 'गुनहगार' घोषित कर देना किसी भी प्रकार उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। इससे बड़ी त्रासदी और क्या होगी कि ज़ुल्म व ज़्यादाती करने वाले अत्याचारियों का महिमामंडन किया जाए तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए।

इस नकारात्मक सोच से समाज को निकालने के लिए सभी संप्रदायों के प्रभावशाली एवं प्रतिष्ठित न्यायप्रिय लोग आगे आएं। सभी पक्षों के बीच सौहार्द बनाने के लिए संपर्क एवं वार्ता की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। जिस बड़े पैमाने पर माहौल को बिगाड़ा जा रहा है उसका तुरंत नोटिस लेना चाहिए। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा शैक्षणिक संस्थाओं को भी देश के वातावरण को सुधारने में सकारात्मक भूमिका के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। इससे पहले कि नफ़रत का विष घातक हो जाए हमें सचेत हो जाना चाहिए। देश में सभी धर्मों और संप्रदायों के बीच वही आपसी विश्वास, सौहार्द एवं भाईचारा स्थापित हो जाए, जिसके लिए भारत विख्यात रहा है। यही वह फार्मूला है जिससे अमन-शांति एवं आर्थिक ख़ुशहाली स्थापित होगी तथा भारत विश्व पटल पर अगुवाई की भूमिका निभाने की स्थिति में होगा।

■■

मैं सुमन हूं

–द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी

व्योम के नीचे खुला आवास मेरा;
ग्रीष्म, वर्षा, शीत का अभ्यास मेरा;
झेलता हूं मार मारूत की निरंतर,
खेलता यों ज़िन्दगी का खेल हंसकर।
शूल का दिन रात मेरा साथ किंतु प्रसन्न मन हूं
मैं सुमन हूं...

तोड़ने को जिस किसी का हाथ बढ़ता,
मैं विहंस उसके गले का हार बनता;
राह पर बिछना कि चढ़ना देवता पर,
बात हैं मेरे लिए दोनों बराबर।
मैं लुटाने को हृदय में भरे स्नेहिल सुरभि-कन हूं
मैं सुमन हूं...

रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है,
साथ शव का भी हमेशा ही दिया है;
खिल उठा हूं यदि सुनहरे प्रात में मैं,
मुस्कराया हूं अंधेरी रात में मैं।
मानता सौन्दर्य को-जीवन-कला का संतुलन हूं
मैं सुमन हूं...



यह बात समझ से परे है कि क्या एक मुस्लिम छात्रा जब हिजाब या स्कार्फ पहनती है तो क्या उसकी बुद्धि में कमी आ जाती है? हिजाब पहनने से क्या उसके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है?

तर्कहीन विरोध

समसामयिक



सैयद तनवीर अहमद

बीते दिनों हमारे देश में एक विवाद उठ खड़ा हुआ। हालांकि इसको विवाद कहना उचित नहीं है, इसलिए कि विवाद में दो पक्ष होते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसी बात नहीं है। यह मामला हिजाब, पर्दा, सिर पर ओढ़नी या चादर डालने को लेकर है। यह बात समझ से परे है कि यह मुद्दा हमारे देश या समाज के कितने हित में है, लेकिन इतना अवश्य है कि यह किसी विशेष राजनीतिक दल के हित में हो सकता है। हिजाब का मुद्दा हमारे देश में क्यों अचानक पैदा हुआ? इस पर ग़ौर किया जाना चाहिए। सवाल उठता है कि क्या हिजाब अभी शुरू हुआ है? क्या पहले हमारी मां और बहनें हिजाब नहीं करती थीं? हिजाब तो हमारे देश में पुराने समय से है। हिजाब या पर्दा करने वाली महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया जाता था। यदि हम इतिहास को उठाकर देखें तो इस बात का उल्लेख मिलेगा कि आज़ादी से पहले हमारे देश में जो राजे महाराजे थे उनके समय में भी बुर्का पहनने और पर्दा करने वाली माताएं और बहनें हुआ करती थीं और उन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।

सवाल उठता है कि आज यह विवाद क्यों पैदा हुआ? विचारणीय है कि क्या यह विवाद धार्मिक है? यदि यह विवाद धर्म के आधार पर होता तो इसमें धार्मिक लोग आपस में बयाबाज़ी करते या मंच पर आते, लेकिन हमने देखा कि इस विवाद में किसी धार्मिक नेता या किसी धर्मगुरू ने अपनी राय नहीं दी या फिर उन्होंने यह नहीं कहा कि हमारा धर्म इसे स्वीकार नहीं करता। यह एक महत्वपूर्ण बात है!

दुनिया का कोई भी धर्म दूसरे धर्म पर कीचड़ नहीं उछालता। धर्म कभी भी नफ़रत की बात नहीं करता। यदि कोई धर्म नफ़रत फैलाता है तो उसके धर्म होन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि यह मामला है कोई धार्मिक मामला नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह

मुद्दा एक ख़ास विचारधारा का है, एक मानसिकता का है और वह मानसिकता यह है कि इस देश में केवल हमारी चले। मुसलमानों या अन्य धर्म के लोगों को अब ऐसे रहना है जैसे हम कहें।

हमारा देश एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है जो कि एक संविधान के अनुसार चलता है। यदि हम इस देश को अपनी विचारधारा अपनी मानसिकता और अपनी इच्छा एवं वरीयता के अनुसार चलाना चाहेंगे तो हमने जो सपना देखा है कि हमारा देश विश्व गुरु बन जाए, यह शायद मुमकिन न होगा।

हिजाब, स्कार्फ़, बुर्क़ा, परदा या घूंघट आप इसे चाहे जो भी कह लें, ऐसा नहीं है कि छात्राओं ने अभी इसे पहनना शुरू किया है बल्कि वे इसे एक ज़माने से पहती आ रही हैं। सवाल उठता है कि इस पर विवाद क्यों उठा? इसकी जड़ में जाना और इसको खोजना ज़रूरी है। यदि हम इसकी खोज करेंगे और इसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे तो हमें इसका हल तलाश करने में आसानी होगी।

हमने इस पूरे मामले और इसके विमर्श को हिजाब केंद्रित कर दिया है या हिजाब से जोड़ दिया है। मेरे विचार में यह समस्या हिजाब की नहीं है बल्कि यह मुद्दा एक मानसिकता का है और वह मानसिकता है सांप्रदायिक नफ़रत की मानसिकता। इस मानसिकता को इस हद तक फैलाया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस विचारधारा से अलग राय रखता है तो उसको इस देश में रहने और जीने का अधिकार नहीं है। यह जो नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, यह मुद्दा भी इसी नफ़रत के माहौल की देन है।

एक ओर यह बात कही जाती है कि मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है और दूसरी ओर एक छोटे से मुद्दे को लेकर उन्हें स्कूल या कॉलेज जाने से रोक देने की बात की जा रही है।



वरना यदि हिजाब या बुर्का हमारे देश के लिए हानिकारक होता तो यह मुद्दा आज क्यों उठता? आमतौर पर हिजाब या बुर्के के बारे में यह कहा जाता है, बल्कि तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों और नेताओं द्वारा भी यह बात कही जाती है कि यह महिलाओं को जबरन पहनाया जाता है। पुरुष जबरन इसे महिलाओं पर थोपते हैं। वास्तविकता यह है कि आज हमारी न्यायिक व्यवस्था ने हमारी महिलाओं को इतना सशक्त किया है कि यदि उन पर किसी भी तरह का कोई ज़ुल्म होता है तो वे कोर्ट जा सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बुर्का या हिजाब औरत पर ज़ुल्म होता तो वे इसके ख़िलाफ़ संगठित होती, आवाज़ उठाती। इसके ख़िलाफ़ अदालतों में मामले दर्ज होते, लेकिन मेरी जानकारी में हमारे देश की किसी अदालत में यह मामला नहीं है। किसी औरत ने यह नहीं कहा कि बुर्का पहनने के लिए उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है।

एक बात तो स्पष्ट है कि हिजाब या बुर्का किसी ज़ुल्म की निशानी है। यह एक परदा है जो एक महिला अपनी शालीनता को प्रकट करने और उसकी सुरक्षा के लिए अपनी समझ और अपनी इच्छानुसार अपनाती है।

इसका मतलब यह नहीं कि जो महिला इसे नहीं अपनाती वह शालीन नहीं है। यह अपने-अपने विचार का मामला है, उन्हें पूरी आज़ादी है। बहुत सी मुस्लिम बहनें हैं जो बुर्का नहीं पहनती हैं, उन पर कोई ज़ुल्म नहीं होता। आज हमारी बहनों को पूरी आज़ादी हासिल है। इस्लाम में भी इस बात की आज़ादी है कि आप चाहें तो किसी बात को अपना सकते हैं और चाहें तो रद्द भी कर सकते हैं।

सवाल पैदा होता है कि उनकी आज़ादी में हम क्यों दख़ल दें? उन्होंने



जिस चीज़ को अपनाया है हम उसे रद्द क्यों करें? यह एक बड़ा सवाल है इसको भी समझने की ज़रूरत है।

एक ओर यह बात कही जाती है कि मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है और दूसरी ओर एक छोटे से मुद्दे को लेकर उन्हें स्कूल या कॉलेज जाने से रोक देने की बात की जा रही है। यह बात समझ से परे है कि क्या एक मुस्लिम छात्रा जब हिजाब या स्कार्फ़ पहनती है तो क्या उसकी बुद्धि में कमी आ जाती है? उसे क्यों रोका जा रहा है? हिजाब पहनने से क्या उसके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? यदि वह हिजाब पहनती है तो क्या इससे उसकी सहेली या टीचर पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है? इन तमाम सवालों का जवाब है नहीं। सवाल उठता है कि परदे या हिजाब इतना विरोध क्यों किया जा रहा है?

दरअस्ल समस्या कहीं और जिसे समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। वास्तविकता यह है कि इन व्यर्थ के मुद्दों को ख़ड़ा करके देश में एक नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा। नफ़रत का यह माहौल हमारे देश और समाज के हित में नहीं है। आज जो लोग हिजाब का विरोध कर रहे हैं वे कल न जाने किन-किन चीज़ों का विरोध करेंगे? जिस प्रकार का माहौल वे बनाना चाहते हैं वैसा माहौल देश और समाज के विकास में बाधक बनेगा।

दरअस्ल समस्या कहीं और जिसे समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। वास्तविकता यह है कि इन व्यर्थ के मुद्दों को ख़ड़ा करके देश में एक नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा। नफ़रत का यह माहौल हमारे देश और समाज के हित में नहीं है। आज जो लोग हिजाब का विरोध कर रहे हैं वे कल न जाने किन-किन चीज़ों का विरोध करेंगे? जिस प्रकार का माहौल वे बनाना चाहते हैं वैसा माहौल देश और समाज के विकास में बाधक बनेगा।

इसलिए आए दिन इस प्रकार व्यर्थ के जो विवाद खड़े किए जा रहे हैं, उन पर ठंडे मन से विचार करना है। यदि हम अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमान करेंगे तो हम अपने इस देश को विश्वगुरू बना पाएंगे और अपने समाज को ठीक से चला सकेंगे तथा इसको उन्नति की ओर ले जा सकेंगे।

राजद्रोह क़ानून अब तक क्यों है यह दाग़ ?

ज्वलंत

संपादन प्रभाग



राजद्रोह क़ानून की ज़रूरत और उसके इस्तेमाल पर कई बार बहस छिड़ चुकी है। ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद इस क़ानून की ज़रूरत क्यों और किसके लिए है, इसको समझने की ज़रूरत है। ईमानदारी से देखा जाए तो इस क़ानून का ज़्यादा दुरुपयोग ही हुआ है। पहले ब्रिटिश सरकार अपने विरोधियों के ख़िलाफ़ इस क़ानून का इस्तेमाल करती थी, अब आज़ाद भारत की सरकार इसका इस्तेमाल अपने ही देशवासियों के ख़िलाफ़ करती है। सरकारें इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों एवं आलोचकों के ख़िलाफ़ करती आई हैं।

वर्ष 2014 के बाद से इस क़ानून का निरंकुश तरीक़े से इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे पहले इमरजेंसी काल में इस क़ानून का इस तरह से खुलेआम ग़लत इस्तेमाल हुआ था। जब भी इस क़ानून का बड़े पैमाने पर ग़लत इस्तेमाल हुआ इसको ख़त्म करने की मांग उठी है। सही मायने में इस क़ानून को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। ऐसा पाया गया है कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल तथा सरकार की आलोचना करने मात्र पर राजद्रोह की धारा लगा दी गयी। भेदभावपूर्ण, दमनकारी क़ानून सीएए के ख़िलाफ़ आंदोलन करने वाले क्रान्तिकारियों, क़ानूनविदों, समाजसेवियों और पत्रकारों के ख़िलाफ़ राजद्रोह क़ानून के थोक के भाव इस्तेमाल ने इसकी उपयोगिता को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छेड़ दी।

यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। ऐसा पाया गया है कि केन्द्र की धुर दक्षिणपंथी विचारधारा वाली सरकार विरोधियों को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए इस क़ानून का इस्तेमाल कर रही है। राजद्रोह क़ानून के खुलेआम दुरुपयोग से पीड़ितों और

ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद इस क़ानून की ज़रूरत क्यों और किसके लिए है, इसको समझने की ज़रूरत है। ईमानदारी से देखा जाए तो इस क़ानून का ज़्यादा दुरुपयोग ही हुआ है। पहले ब्रिटिश सरकार अपने विरोधियों के ख़िलाफ़ इस क़ानून का इस्तेमाल करती थी, अब आज़ाद भारत की सरकार इसका इस्तेमाल अपने ही देशवासियों के ख़िलाफ़ करती है।

इन्साफ़ पसंद जनता में सरकार के ख़िलाफ़ आक्रोश है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को वक्ती राहत तो दी है, लेकिन सरकार के इरादों के आगे वह कितने दिन टिकेगा यह देखना बाक़ी है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त रुख़ अपनाते हुए कहा कि जब तक आईपीसी की धारा 124-ए की री-एग्जामिन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। साथ ही उसने पहले से दर्ज मामलों में कार्रवाई पर रोक लगा दी। इस वक्ती राहत का इस्तेमाल करते हुए जो बेक़सूर जेलों में बंद है, वे ज़मानत के लिए अपील कर सकते हैं। कोर्ट का फ़ैसला केंद्रीय क़ानून मंत्री किरन रिजीजू को पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने कहा कि वे कोर्ट और इसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है, जिसका सम्मान सभी अंगों द्वारा किया जाना चाहिए।



केंद्र सरकार की यह दलील है कि कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा बरक़रार रखे गये राजद्रोह के प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए आदेश देना सही तरीक़ा नहीं हो सकता है। क़ानून मंत्री का कहना है कि हमने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है और प्रधानमंत्री मोदी के इरादे के बारे में कोर्ट को सूचित कर दिया है। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के समय में बने 152 साल पुराने इस राजद्रोह के क़ानून की धारा 124-ए पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र को इस क़ानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने की अनुमति दे दी है। यानी मामला अभी केन्द्र सरकार के पाले में ही है। उसके तर्कों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह राजद्रोह जैसे क़ानूनों को ख़त्म करने के मूड में नहीं है।

सरकार की ओर से जवाब देतें हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि आईपीसी की धारा 124-ए पर रोक न लगायी जाए। ऐसा प्रावधान किया जाए कि भविष्य में पुलिस अधीक्षक की जांच और सहमति के बाद इस क़ानून के तहत मामले दर्ज किये जाएंगे। केंद्र ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि संज्ञेय अपराध को दर्ज होने से नहीं रोका जा सकता। क़ानून के प्रभाव पर रोक लगाना सही नहीं होगा, इसलिए जांच के लिए एक ज़िम्मेदार अधिकारी होना चाहिए और मामला तभी दर्ज किया जाए जब वह क़ानून के तहत तय मानकों के अनुरूप हो।

यहां सवाल यह है कि पुलिस सरकार के अधीन होती है और वह वही करती है जो सरकार चाहती है, ऐसे में सरकार राजद्रोह की धारा लगाने के लिए पुलिस जांच की आड़ में चोर दरवाज़ा खोल रही है। ख़ासकर मुस्लिम विरोधी हिंसा और कार्रवाई के दौरान पुलिस और दक्षिणपंथियों का गठजोड़ उजागर हो चुका है, ऐसे में पुलिस की निष्पक्षता संदिग्ध है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि अगर राजद्रोह की धाराओं के तहत कोई नया केस दर्ज किया जाता है, तो पीड़ित पक्ष कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है।

ग़ौरतलब है कि कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जानकारी दी कि राजद्रोह क़ानून के तहत देशभर की जेलों में 13 हज़ार लोग आज तक बंद हैं। ज़ाहिर है कि यह आंकड़े सत्ता की तानाशाही को दर्शाते हैं। मालूम रहे कि राजद्रोह के मामलों में धारा 124-ए से जुड़ी दस से ज़्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। राजद्रोह के क़ानून के अंतर्गत दोषी पाए गये लोगों को उम्रक़ैद और जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरियों से अयोग्य क़रार दे दिया जाता है। वहीं इस क़ानून के तहत गिरफ़्तार किये गये लोगों को जमानत का प्रावधान नहीं है। यानी अगर सरकार किसी को जेल में रखने के इरादे से राजद्रोह का केस लगाती है तो उसको तब तक जेल में रहना होगा जब तक वह बेक़सूर साबित नहीं हो जाता। मौजूदा सरकार पर अपने वैचारिक विरोधियों का दमन करने के आरोप लगते रहे हैं।

नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के वर्ष 2019 के आंकड़े इस क़ानून की सच्चाई की कई परत खोलते हैं।

गत वर्ष 49 प्रमुख शख़्सियतों के समूह को राजद्रोह के तहत गिरफ़्तार किया गया था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा, अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा, फिल्म निर्माता मणिरत्नम व अपर्णा सेन जैसे लोगों पर मात्र इसलिए राजद्रोह का केस लगा दिया गया कि इन्होंने दक्षिणपंथी चरमपंथियों द्वारा गौ-रक्षा के नाम पर की जा रही हत्याओं के ख़िलाफ़ प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख दिया था।

आंकड़े बताते हैं कि राजद्रोह क़ानून के तहत लोगों को गिरफ़्तार करने अथवा हिरासत में लेने के मामले में काफ़ी बढ़ोत्तरी आयी है। 2016 में राजद्रोह के 35 मामले दर्ज किये गये, जबकि 2019 में राजद्रोह के 93 मामले दर्ज किये गये। यानी राजद्रोह के केसों में 165 फ़ीसद का इज़ाफ़ा हुआ।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में 2014 से 2019 के बीच कुल 326 मामले दर्ज किये गये। इनमें सिर्फ़ छह लोगों को दोषी ठहराया गया। सबसे ज़्यादा 54 मामले असम में दर्ज किये गये। इस दौरान दर्ज राजद्रोह के मामलों में से 141 में आरोप-पत्र दाख़िल किये गये, जबकि छह साल की अवधि में केवल छह लोगों को अपराध के लिए दोषी क़रार दिया गया।

झारखंड में पिछले छह सालों में राजद्रोह के 40 मामले दर्ज किये गये। इनमें 29 मामलों में आरोप-पत्र दाख़िल किये गये। अन्य 16 मामलों में मुक़दमा पूरा हो गया। सिर्फ़ एक व्यक्ति को दोषी क़रार दिया गया। बिहार, जम्मू कश्मीर और केरल में राजद्रोह क़ानून के तहत 25, उत्तर प्रदेश में 2014 से 2019 के बीच 17 और पश्चिम बंगाल में 8 मामले दर्ज किये गये। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक़, 2019 में देश में राजद्रोह के सबसे ज़्यादा 93 मामले दर्ज किये गए।

गत वर्ष 49 प्रमुख शख़्सियतों के समूह को राजद्रोह के तहत गिरफ़्तार किया गया था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा, अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा, फिल्म निर्माता मणिरत्नम व अपर्णा सेन जैसे लोगों पर मात्र इसलिए राजद्रोह का केस लगा दिया गया कि इन्होंने दक्षिणपंथी चरमपंथियों द्वारा गौ-रक्षा के नाम पर की जा रही हत्याओं के ख़िलाफ़ प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख दिया था। एक 22 वर्षीय लड़की पर राजद्रोह का केस लगा कर गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसकी शशि थरूर, मृणाल पांडे और राजदीप सरदेसाई ने राजद्रोह क़ानून का दुरूपयोग बताते हुए इसकी निन्दा की।

ग़ौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार हो या भारत सरकार दोनों के लिए राजद्रोह का क़ानून अपराधियों को सज़ा देने से कहीं ज़्यादा विरोधियों और विरोध की आवाज़ को दमन करने का हथियार रहा है। अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को दबाया जा रहा है, बिना किसी क़ानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों को चरमपंथी समूहों की ओर से निशाना बनाने की खुली छूट मिली हुई, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए दिनोदिन ख़तरे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह दावा किस आधार पर किया जा सकता है कि राजद्रोह क़ानून का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। अगर सरकार से निष्पक्षता की उम्मीद होती तो जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, वे वहां नहीं जाते। कड़वी सच्चाई यह है कि इस मामले में सरकार से उम्मीद रखना बेमानी है, जो कुछ करना है सुप्रीम कोर्ट को करना है। अगर वह भी इस मामले को सरकार के पाले में छोड़ देता है तो आगे भी इस क़ानून के व्यापक दुरुपयोग की संभावना बनी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अधिकारी इस क़ानून का दुरुपयोग करते हैं, उनको सज़ा देने का प्रावधान हो। इस तरह के उपायों के ज़रिये ही राजद्रोह के क़ानून के दुरुपयोग की संभावना को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। उससे आगे की बात यह है कि यह क़ानून अंग्रेज़ी शासनकाल का एक ऐसा दाग़ है, जिसको अब मिटा दिया जाना चाहिए।

■■



धर्मपरायणता और क़ुरबानी

ईदुल-अज़हा पर विशेष



संपादन प्रभाग

ईदुल-अज़हा, जिसको बक़रीद भी कहते हैं, मुसलमानों के दो प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो इस्लामी कैलेंडर के आख़िरी महीने, जिलहिज्जा के 10वें दिन मनाया जाता है। ईदुल-अज़हा या 'क़ुरबानी का त्योहार' पैग़म्बर हज़रत इबराहीम का अल्लाह (ईश्वर) के आदेश के समक्ष स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देने और अपने बेटे को अपने ही हाथों क़ुरबान कर देने पर तैयार हो जाने की याद का प्रतीक है। इस दिन एक जानवर को अल्लाह के नाम पर क़ुरबान कर हर मुसलमान अपने इसी संकल्प को दर्शाता है कि हज़रत इबराहीम की तरह वह और उसका सब कुछ अल्लाह को समर्पित है।

विश्व भर में फैले 200 करोड़ मुसलमान इस त्योहार को पूरी श्रद्धा से मनाते हैं और अल्लाह के आदेशों के समक्ष अपने पूर्ण समर्पण के प्रदर्शन में प्रतीकवश एक जानवर की क़ुरबानी पेश करते हैं।

अन्य धर्मों में क़ुरबानी

अपने अराध्य के सामने जानवरों को क़ुरबान करने की प्रथा किसी न किसी रूप में विभिन्न धर्मों में पाई जाती रही है। प्राचीन ग्रीस, मिस्र, चीन और रोमन सभ्यता और स्वयं हमारे देश में जानवरों के बलि चढ़ाने की प्रथा मिलती है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्ग़ा या भैंसे की बलि दिए जाने का प्रचलन है। यहूदी और ईसाइयों के यहां भी जानवरों की क़ुरबानी किए जाने का वर्णन मिलता है। हिन्दू धर्म में इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें-मनु॰ 3/123, 3/268, 5/23, 5/27-28, 5/35-36; ऋ॰-10/27/2, 10/28/3; अथर्व॰-9/6/4/43/8; श॰ब्रा॰-3/1/2/21

क़ुरबानी के संबंध में ग़लतफ़हमियां

यह त्योहार जितना पवित्र और उच्च आदर्शों का प्रतीक है, वहीं इसको लेकर लोगों में बहुत सारी ग़लतफ़हमियां भी फैल गई हैं और कुछ लोग इस पर एतिराज़ भी करने लगे हैं। आइए इनमें से कुछ को समझने का प्रयत्न करते हैं-

क़ुरबानी जीव-हत्या है : मांस खाने की प्रथा विश्व के लगभग सभी देशों में पाई जाती है और भोजन के लिए प्रतिदिन लाखों की संख्या में जानवर काटे जाते हैं। अगर ईदुल-अज़हा की क़ुरबानी जीव-हत्या है और ग़लत है तो पूरे वर्ष जानवरों का काटा जाना उचित कैसे हो सकता है? दूसरी बात यह कि विश्व की जनसंख्या का तीन-चौथाई (3/4) हिस्सा मुसलमान नहीं है और इनमें से अधिकतर लोग, जिसमें भारत के लोग भी शामिल हैं, मांसाहार करते हैं और हमेशा से करते आ रहे हैं। भारत में 70 प्रतिशत लोग मांस खाते हैं जिनमें 50 प्रतिशत लोग ग़ैर-मुस्लिम ही हैं। तो फिर जीव-हत्या का इल्ज़ाम सिर्फ़ मुसलमानों पर ही क्यों, जबकि इस्लाम अकारण किसी भी हत्या का सख़्त विरोधी है, चाहे इन्सानों की हो या जानवर की?

इस्लाम के बारे में एक ग़लतफ़हमी यह फैली हुई है कि इसमें मास खाना अनिवार्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने इन्सानों को उन्हीं के फ़ायदे के लिए मास खाने की मात्र अनुमति दी है, अनिवार्य नहीं किया है। इसी कारण उसने इन्सान के शरीर में दोनों प्रकार की क्षमता रखी है और इसका महत्व उन लोगों से पूछिये जो ऐसे बर्फ़ीले स्थानों में रहते हैं जहां घास तक नहीं उगती, किसी और वनस्पति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और उन लोगों से पूछिए जो समुद्री इलाक़ों में रहते हैं और मछली ही उनका मुख्य भोजन है। और यदि जीवन की बात ही की जाए तो जीवन तो वनस्पतियों में भी होता है पर इसके भोजन के लिए उपयोग पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती।

अपने अराध्य के सामने जानवरों को क़ुरबान करने की प्रथा किसी न किसी रूप में विभिन्न धर्मों में पाई जाती रही है। प्राचीन ग्रीस, मिस्र, चीन और रोमन सभ्यता और स्वयं हमारे देश में जानवरों के बलि चढ़ाने की प्रथा मिलती है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्ग़ा या भैंसे की बलि दिए जाने का प्रचलन है। यहूदी और ईसाइयों के यहां भी जानवरों की क़ुरबानी किए जाने का वर्णन मिलता है। हिन्दू धर्म में इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें-मनु० 3/123, 3/268, 5/23, 5/27-28, 5/35-36; ऋ०-10/27/2, 10/28/3; अथर्व०-9/6/4/43/8; श०ब्रा०-3/1/2/21

यह बात भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक ओर जहां इस्लाम मास खाने की अनुमति देता है, वहीं दूसरी ओर वह यह भी आज्ञा देता है कि जानवरों को इस तरह से ज़बह किया जाए कि उन्हें कम से कम तकलीफ़ हो। पैग़म्बर मुहम्मद का आदेश है कि, ''जानवरों को ज़बह करते समय, भली तरह से ज़बह करो और अपने चाक़ू को तेज़ कर लिया करो और सुकून से क़ुरबानी करो।''

(हदीस : मुस्लिम-5167)

देखा यह जा रहा है कि वर्तमान में जो लोग पूरी दुनिया में हो रही इन्सानों की हत्याओं पर कभी आवाज़ नहीं उठाते, वही क़ुरबानी का सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं।

क़ुरबानी से जानवरों की नस्ल समाप्त हो जाएगी : यह भी एक ऐसा एतिराज़ है जिसके पीछे न कोई तर्क है न अनुभव। जानवरों का खाने में उपयोग सदा से होता आ रहा है और लाखों वर्षों में जब क़ुरबानी वाले जानवरों की नस्ल समाप्त नहीं हुई तो अब कैसे हो जाएगी? बल्कि सच्चाई तो यह है कि जैसे-जैसे इन जानवरों का उपयोग बढ़ता गया है वैसे-वैसे इनकी नस्ल और तेज़ी से फैलती गई है और समाप्त होने के बजाए बढ़ती जा रही है। बकरी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो कि लाखों की संख्या में रोज़ इस्तेमाल में आती है पर उसकी कमी कभी नहीं हुई। हालांकि बकरी के एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चे होते हैं, जबकि कई दूसरे जानवर, जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि के छह और आठ तक बच्चे होते हैं पर उनकी मात्रा इतनी कभी नहीं देखने में आती जितनी बकरी की। इसी प्रकार मुर्ग़े और मछली की संख्या उपयोग के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है।

क़ुरबानी के पैसों को ग़रीबों में



बांट देना चाहिए : ग़रीबों और समाज के अन्य वंचित लोगों की समस्याओं को दूर करने और उनके जीवन के स्तर को ऊपर उठाने का इस्लाम में भरपूर प्रावधान है और जब कभी इस्लाम को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे लोगों की संख्या में तेज़ी से कमी आई है। पूरा इस्लामी इतिहास इस पर साक्षी है। इसलिए इस्लाम पर यह आरोप भी उचित मालूम नहीं होता।

इस्लाम के दोनों त्योहार भी अपने अन्दर ग़रीबों को साथ लेकर चलने का पूरा प्रावधान रखते हैं। ईदुल-फ़ित्र के दिन एक मुसलमान की नमाज़ स्वीकार नहीं होगी यदि उसने ग़रीबों का हक़ उन तक नहीं पहुंचाया। क़ुरबानी के जानवरों का दो-तिहाई हिस्सा ग़रीबों में वितरित कर दिया जाता है जिससे की उन्हें भी अच्छा आहार प्राप्त हो सके। जानवर की खाल के पैसे भी ग़रीबों को देना ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर इस्लाम में ज़कात की अनिवार्यता स्वयं में ग़रीबी को जड़ से समाप्त करने का सबसे बड़ा प्रावधान है। आज भी यदि अनुशासित रूप से ज़कात के प्रावधान को सब पर लागू किया जाए तो देश से ग़रीबी समाप्त होने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। ऐसे में एक त्योहार को चुनकर उसमें की जाने वाली क़ुरबानी को आलोचना का पात्र बनाना समझ से परे है।

यदि देश में ग़रीबों के उत्थान के लिए कुछ चीज़ों को बंद ही करना है तो फिर हर तरफ़ हो रही पैसों की बर्बादी को भी रोका जाना चाहिए। शादी के अवसर पर की जाने वाली फ़िज़ूलख़र्ची को रोका जाए, बड़े-बड़े समारोहों में होने वाले पैसे के दुरुपयोग को रोका जाए, बड़े-बड़े आलीशान घर बनाने पर पाबन्दी लगे, लंबी-लंबी महंगी गाड़ियों पर रोक लगाई जाए आदि। यह तथ्य भी सामने रहे कि अगर क़ुरबानी को बन्द करके इस भरोसे रहा जाएगा कि लोग ग़रीबों को देंगे तो यह अव्यावहारिक एवं काल्पनिक बात होगी जिससे अंततः नुक़सान ग़रीबों का ही होगा कि न उन्हें भोजन मिलेगा और न पैसा।

जानवरों को भी जीने का अधिकार है, जैसे इन्सान को : जानवरों के जीने के अधिकार पर इस्लाम ने बहुत ज़ोर दिया है। क़ुरआन में अल्लाह ने बताया है कि इन्सानों की तरह जानवरों, पक्षियों आदि के भी अपने गिरोह होते हैं (क़ुरआन, 6:38) और वह भी अल्लाह का गुणगान करते हैं पर इन्सानों को इसका ज्ञान नहीं है (क़ुरआन, 24:41)। इस्लाम सिखाता है कि इस पृथ्वी पर इन्सानों की तरह उन्हें भी जीने का अधिकार है।

(क़ुरआन, 55:10)

यही कारण है कि इस्लाम अनावश्यक रूप से या मात्र अपने शौक़ अथवा खेल के लिए किसी भी जानवर या अन्य जीव-जन्तु की जान लेने से मना करता है और उन पर किसी भी प्रकार के अत्याचार से रोकता है। इस्लाम का मानना है कि सभी जीवन अल्लाह की ओर से हैं और सभी की रक्षा होनी चाहिए। अल्लाह ने इन सभी के जीवन को एक दूसरे पर आश्रित कर रखा है। ज़मीन पर रेंगने वाले जीव अपने भोजन के लिए कीड़े-मकोड़े का उपयोग करते हैं, पक्षी भी कीड़े-मकोड़े खाकर ही अपना जीवन चलाते हैं और जंगल के बड़े जानवर अपने से छोटे और कमज़ोर जानवर को अपने भोजन के लिए शिकार करते हैं। यह ईश्वरीय नियम है और इसी के अंतर्गत इन सबका अस्तित्व बाक़ी है। भोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले इन सब जीव-जंतुओं को क्या जीने का हक़ नहीं है? अवश्य है, पर इन सबका जीवन एक-दूसरे के लिए ही बना है और इसमें कोई किसी पर ज़ुल्म नहीं कर रहा है। इस धरती पर इन्सान का स्थान समस्त जीव-जंतुओं में श्रेष्ठतम है, इसलिए अल्लाह के बनाए हुए इसी नियम के अंतर्गत उसे भी अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों का उपयोग करने का अधिकार पहुंचता है। यह उनके अधिकार का हनन नहीं बल्कि अपने अधिकार का इस्तेमाल और उन जानवरों का सही इस्तेमाल है। यह समस्त जीव-जंतु इन्सानों के लिए ही बने हैं और इन्सान अल्लाह की निश्चित की हुई सीमाओं के अन्दर इनका इस्तेमाल कर सकता है।

इस प्रकार यह बात आसानी से

समझी जा सकती है कि क़ुरबानी एक उपासना है जो इन्सानों और उनके पैदा करने वाले मालिक के बीच क़ुर्ब (निकटता) पैदा करने का माध्यम है। उसका यह आशय नहीं होता कि क़ुरबानी का ख़ून और गोश्त अल्लाह तक पहुंचाए, बल्कि वह तो अपने हृदय की भावनाओं को उसके सामने प्रस्तुत करता है। क़ुरआन ने यह स्पष्ट भी कर दिया है कि अल्लाह को ख़ून और गोश्त नहीं बल्कि तुम्हारी धर्मपरायणता पहुंचती है :

''न उनके मांस अल्लाह को पहुंचते हैं और न उनके रक्त। किन्तु उसे तुम्हारा तक़वा (धर्मपरायणता) पहुंचता है।'' (क़ुरआन, 22:37)

यही धर्मपरायणता और ईशपरायणता है जो इस्लाम अपने अनुयायियों में पैदा करना चाहता है और ईदुल-अज़हा की क़ुरबानी इस भावना को पैदा करने में एक सक्षम रोल निभाती आ रही है और आगे भी निभाती रहेगी।

क़ुरबानी के लाभ

कुछ लोग समझते हैं कि जानवर की क़ुरबानी एक प्रकार की बलि है जिसमें जानवर को ज़बह करके उसके मास और खाल को नष्ट कर दिया जाता है। क़ुरबानी का यह मतलब हरगिज़ नहीं है, बल्कि उसकी एक-एक चीज़ को काम में लाया जाता है और नष्ट और बरबाद नहीं किया जाता। इस दृष्टि से यदि क़ुरबानी का जायज़ा लिया जाए तो इसके अनगिनत फ़ायदे सामने आते हैं।

आर्थिक लाभ

• एक छोटे से जानवर की क़ुरबानी अपने अन्दर ढेरों आर्थिक लाभ रखती है जो देश और समाज की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाते रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। इसका सबसे बड़ा लाभ पशु उद्योग को पहुंचता है। अनुमान है कि भारत में प्रतिवर्ष ईदुल-अज़हा के अवसर पर एक करोड़ से अधिक जानवरों की क़ुरबानी होती है। यह जानवर किसी इंडस्ट्री से नहीं, बल्कि गांव में रहने वाले ग़रीबों के घरों से आते हैं और कितने ही घर ऐसे हैं जिन्होंने इसे ही अपने जीवन-यापन का साधन बना रखा है।

• क़ुरबानी के महंगे जानवर ख़रीदने वाले धनवान लोग ही होते हैं। इस प्रकार उनके पास की दौलत को ग़रीबों तक पहुंचाने का यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक होता है।

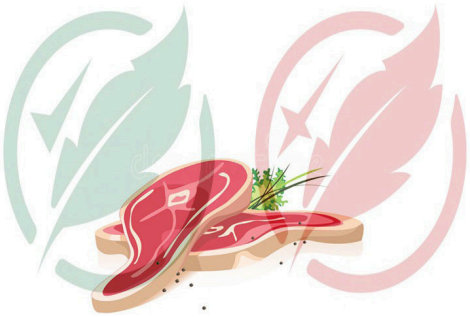

• देश का अरबों रुपयों का चमड़ा उद्योग इन्हीं जानवरों से निकलने वाली खालों पर ही पूरी तरह निर्भर है। अगर क़ुरबानी प्रथा न होती तो पैरों में पहने जाने वाले जूते-चप्पल, फ़ौजियों के काम आने वाली लेदर जैकेट्स आदि के लाले पड़ जाते।

• ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कींस के सिद्धांत पर यदि क़ुरबानी से होने वाले आर्थिक लाभ को मापा जाए तो आसानी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जानवरों की क़ुरबानी एक बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी दिन दूनी और रात चौगुनी तरक़्क़ी करने वाला है।

समाजी लाभ

• आर्थिक लाभ के साथ ही क़ुरबानी के बहुत सारे समाजी लाभ भी हैं। सदा से मुसलमानों का यह तरीक़ा रहा है कि वह क़ुरबानी से प्राप्त होने वाले गोश्त का दो-तिहाई ग़रीबों में बांट देते हैं। थोड़ा-सा ग़ौर करने से आसानी से यह बात समझ में आ जाती है कि ग़रीबों को फ़ायदा पहुंचाने और उनकी सहायता करने का इससे बड़ा कोई त्योहार दुनिया में नहीं है। क़ुरबानी के गोश्त का व्यापार नहीं किया जा सकता और न ही सारा का सारा स्वयं ही इस्तेमाल किया जा सकता है। क़ुरबानी के अवसर पर ऐसे ग़रीब और भूखों को भी भोजन मिल जाता है जिन्हें आम दिनों में मिलना मुश्किल या असंभव होता।

• इस्लाम सदा एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जिसमें अमीर ग़रीबों से कटकर नहीं, बल्कि उनके काम आने का प्रयत्न करें। ईदुल-अज़हा का यह त्योहार अमीर और ग़रीब के बीच की दूरी को बहुत हद तक मिटा देता है जब गोश्त लेकर वह ग़रीबों के दरवाज़े पर जाता है।

• ईद का दिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अपने संबंध के नवीनीकरण का दिन होता है। इस दिन मात्र अल्लाह की ख़ुशी के लिए ही सही आदमी अपने नाराज़ रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी गले लगा लेता है। इस प्रकार संबंध सुधारने और उनमें मधुरता पैदा करने का एक अच्छा अवसर मिल जाता है।

आध्यात्मिक लाभ : इस्लाम आध्यात्मिकता को 'तक़वा' (ईशपरायणता) का नाम देता है और क़ुरबानी इन्सानों में यही तक़वा पैदा करती है। क़ुरबानी के समय पढ़ी जाने वाली दुआ आध्यात्मिकता की सच्ची भावना को व्यक्त करती है : ''बेशक मेरी नमाज़ और मेरी क़ुरबानी और मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ़ सब लोकों के पालनहार परमेश्वर के लिए होगा।'' ■■



फोबिया को रखें ख़ुद से दूर

सेहत



संपादन प्रभाग

फोबिया एक ऐसी बिमारी है जो आत्याधिक और अकारण भय से जुड़ी होती है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को किसी भी चीज, स्थान, परिस्थिति या वस्तु को लेकर डर हो सकता है। फोबिया में अत्याधिक प्रतिक्रिया शामिल होती है। ज़्यादातर लोगों को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। बल्कि दूसरे शब्दों में कहें तो, डर हम सभी के भीतर पाया जाता है। ये किसी में कम और किसी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब डर ज़रुरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो एक गंभीर मानसिक विकार का रूप ले लेता है, इसी को फोबिया कहते हैं।

हालांकि हर डर फोबिया नहीं होता है। डरना अच्छी बात है, जैसे अगर कोई इंसान अंधेरे से इसलिए डरता है कि न दिखने के कारण कहीं ठोकर न लग जाए। तो ये डर है। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान अंधेरे से इतना डरने लगे कि उसकी निजी ज़िन्दगी भी प्रभावित होने लगे तो ये फोबिया है।

फोबिया, का इलाज पूरी तरह से संभव है, मेडिकल साइंस अब काफ़ी तरक़्क़ी कर चुका है। इसलिए हर तरह के फोबिया का इलाज दवाओं के सही इस्तेमाल से किया जा सकता है। किसी भी प्रकार फोबिया के कारण और लक्षण होते हैं और इससे बचाव के लिए इलाज भी होता है।

'फोबिया' शब्द का अर्थ

'फोबिया' ग्रीक भाषा के शब्द फोबोस (Phobos) से बना है। फोबिया डर का एक ख़तरनाक स्तर होता है,

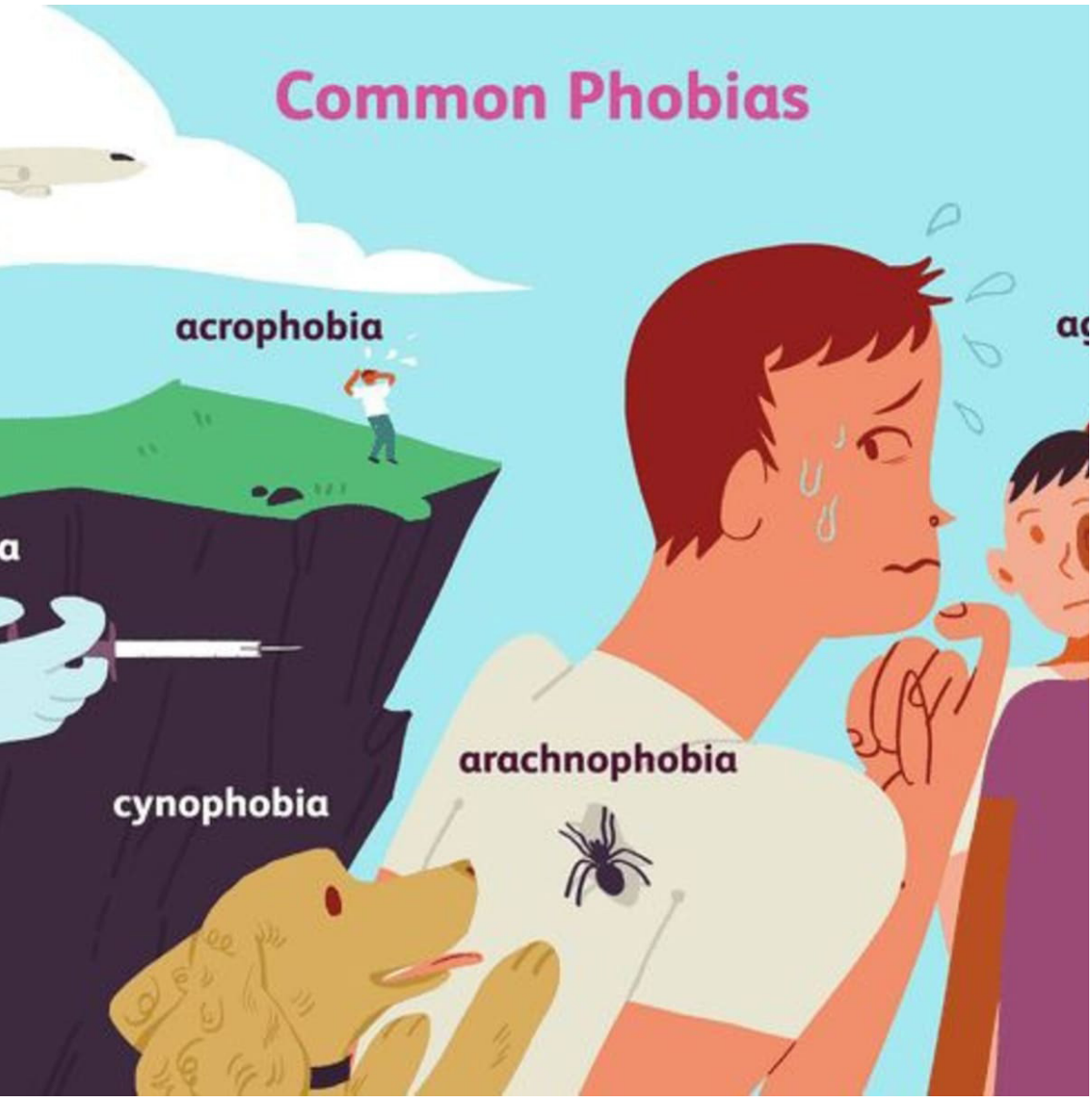

उसकी अति होती है। फोबिया में डर इतना ज़्यादा लगता है कि इंसान इसमें किसी की जान भी ले सकता है और ख़ुद को भी मार सकता है, यानी अपनी जान भी ले सकता है। फोबिया के चलते अपने रिश्तों, सामाजिक जीवन और दफ़्तर में भी बहुत दिक्कत आने लगती हैं।

ख़तरनाक है फोबिया

जब यह गंभीर रूप से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन्सान अपनी जान भी दे सकता है और सामने वाले की ले भी सकता है। इसका लक्षण व्यवहार में तो दिखाई देता है मगर सामने से देखने में यानी व्यक्तित्व में यह लक्षण नहीं दिखता है इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए।

यदि उक्त प्रकार के लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जाने लगें तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें। इसकि इलाज में इसमें दवाएं, काउंसिलिंग और थेरेपी का प्रयोग किया जाता हैं। फोबिया के इलाज के के लिए मनोवैज्ञानिक थेरेपी और मेडिकेशन्स दोनों बेहद ज़रूरी हैं। Cognitive Behavioural therapy CBT इसके लिए अच्छा इलाज माना जाता हैं,जिसमें मरीज़ की सोच में बदलाव लाया जाता हैं।

फोबिया के लक्षण

• इसको दो भागों में बांट सकते हैं। विशिष्ट फोबिया और सोशल फोबिया। जिनके अंदर फोबिया के लक्षण होते हैं-किसी भी डर की चीज़ें याद करके परेशान हो जाना, बेचैन हो जाना और उस परिस्थिति को नियंत्रित न कर पाना।

• जिस चीज़ से डर लगता है वह चीज़ जैसे ही सामने आती है, घबराहट और चिंता और ज़्यादा बढ़ती जाती है।

• उस स्थिति से बचने के लिए सारी संभव कोशिश करना।

• ऐसे लोगों में अत्यधिक तनाव और बेचैनी का होना।

• बिन वजह पसीने आना और कोई बात सोचकर ऐसा होने लगना।

• सच्चाई स्वीकार करने से डरना और परिस्थिति से दूर भागना।

• हर वक्त सिर में भारीपन महसूस करना।

• अलग-अलग आवाज़ें सुनाई देना और ऐसा बार-बार महसूस करना।

• दिल की धड़कन का बढ़ जाना और सांस तेज़ होना और उसकी गति बढ़ना।

• पेट ख़राब होना या डायरिया।

• चक्कर आना और महसूस होना।

• शरीर में कहीं भी दर्द महसूस करना और बैचेन रहना।

• ब्लड-प्रेशर बढ़ना या कम होना।

• किसी भी अवस्था में बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाना।

• विशिष्ट तरह के फोबिया के लक्षण अलग होते हैं जो इस प्रकार हैं- किसी भी चीज़ के प्रति तर्कहीन भय।

• किसी भी बात को लेकर अत्यधिक भय।

• उस बात को सहते रहना या फिर हद तक बर्दाश्त करना।

• पूर्वानुमानित चिंता करना।

• आक्रामक रहना।

• ज़्यादा घुटन महसूस करना।

जिससे भी डर लगता है उसके सामने आने से पहले ही परेशान हो जाना, उसके सामने आने से पहले ही बैचौन होना।

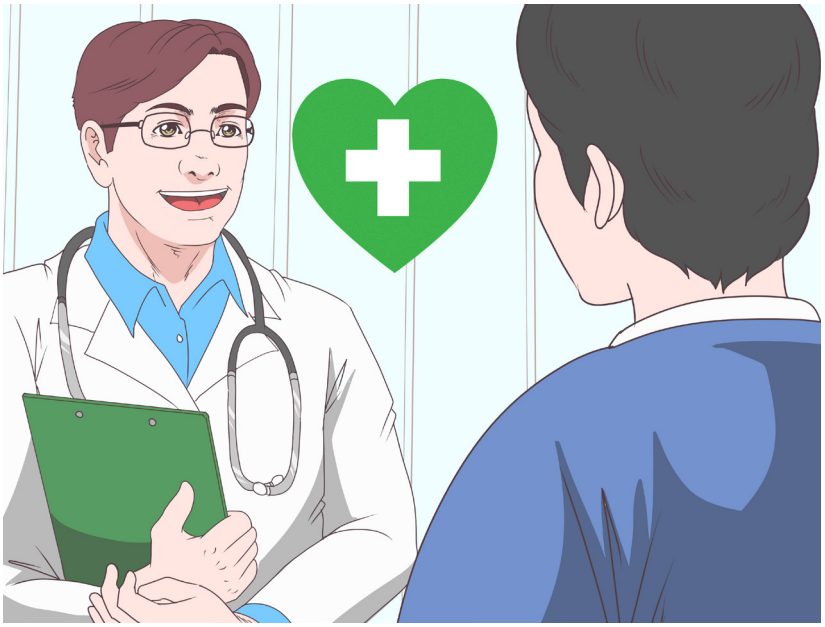

फोबिया के प्रकार

फोबिया रोग बहुत प्रकार के होते हैं इनमें मुख्य रूप से दो प्रकार के फ़ोबिया उल्लेखनीय हैं-पहला है साधारण फोबिया और दूसरा है जटिल फोबिया

साधारण फोबिया-यह फोबिया बचपन से होने वाला होता हैं, बचपन की कोई बात या स्थान मन में डर पैदा कर देता हैं। यह साधारण फोबिया होता है।

जटिल फोबिया-यह थोड़ा मुश्किल लेवल होता है और इसमें अवस्था ज़्यादा गंभीर होती है।

अन्य फोबिया जो सामान्यतः लोगों में मिल जाते हैं-

Acrophobia-ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह में डर लगना।

Arachnophobia-छिपकली, मकड़ी जैसे छोटे-छोटे जीवों का डर।

Cyanophobia-कुत्तों से डर।

Nyctophobia-अंधेरे से डर।

Aerophobia-उड़ान से डर।

Astraphobia-बिजली चमकने से डर।

Mysophobia-जर्म से डर।

Trypanophobia-इंजेक्शन से डर।

Amaxophobia-कार ड्राइविंग का डर।

Androphobia-आदमी से डर।

Anthrophobia-फूलों से डर।

Anthropophobia-समाज से डर, व्यक्तियों से डर।

Aphenphosmphobia-स्पर्श से डर।

Arachibutyrophobia-पीनट बटर से डर।

Arithmophobia-संख्याओं से डर।

Atelophobia-अपूर्णता से डर।

Atychiphobia-असफलता से डर।

Autophobia-अकेलापन से डर।

Bibliophobia-किताबों से डर।

Catoptrophobia-दर्पण से डर।

Chromophobia-रंगों से डर।

Chronomentrophobia-घड़ी से डर।

Chronophobia-समय से डर।

Domatophobia-घर से डर।

Dystychiphobia-दुर्घटना से डर।

Gamophobia-शादी से डर।

Glossophobia-पब्लिक में बोलने से डर।

Gynophobia-महिलाओं से डर।

Hemophobia-ख़ून से डर।

फोबिया का उपचार या इलाज

यदि उक्त प्रकार के लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जाने लगें तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें। इसकि इलाज में इसमें दवाएं, काउंसिलिंग और थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। फोबिया के इलाज के के लिए मनोवैज्ञानिक थेरेपी और मेडिकेशन्स दोनों बेहद ज़रूरी हैं। Cognitive Behavioural therapy CBT इसके लिए अच्छा इलाज माना जाता है,जिसमें मरीज़ की सोच में बदलाव लाया जाता है। फोबिया के ट्रीटमेंट के लिए रोगी के थायरॉयड, ब्लड शुगर, डायबिटीज़ आदि की जांच करना भी ज़रूरी होता है। ■■

वीडियो एडिटिंग : बेशुमार अवसरों वाला क्षेत्र

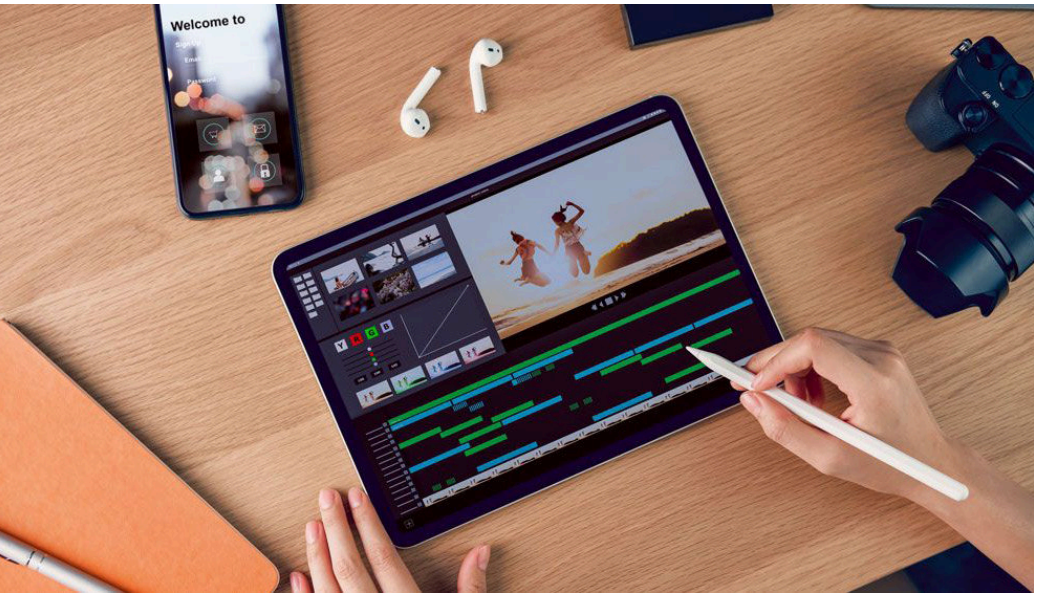

करियर



संपादन प्रभाग

किसी फिल्म, वृत्तचित्र, समचार या इंटरव्यू की शूटिंग के बाद की क्रियाओं में से सबसे ज़रुरी होती है वीडियो एडिटिंग। कंप्यूटर की मदद से इस कार्य से जुड़े कार्य अनोखे पक्ष सामने आ गए हैं। आज प्रत्येक इलेक्ट्रोनिक मीडिया फिल्म निर्माण कंपनी व स्टूडियों में एडिटरों की भारी मांग है। कल्पनाशीलता इस कार्य की पहली शर्त है, जिसके आधार पर एक वीडियो एडिटर एडिटिंग के माध्यम से किसी वीडियो को फाइनल आकार देता है।

क्या है यह वीडियो एडिटिंग

अगर आप में विजुअल को समझने और उनका तुरंत मूल्यांकन करने की क्षमता है तो, वीडियो एडिटिंग को कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है। इन दिनों एडिटिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण वीडियो एडिटर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि किसी भी फिल्म या टीवी प्रोग्राम के कल्पना वीडियो एडिटर्स के बिना संभव नहीं है। एक अनुमान के अनुसार, निकट भविष्य में एक लाख से अधिक प्रशिक्षित वीडियो एडिटर्स की डिमांड होगी।

वीडियो एडिटिंग के अंतर्गत एडिटिंग के कॉन्सेप्ट और उससे जुड़ी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। फुटेज की कैप्चरिंग, फुटेज को एडिट करने से लेकर किन विजुअल्स को कहां फिट करना है, म्युज़िक और साउंड को किस तरह मिक्स करना है, ये तमाम काम वीडियो एडिटिंग में माहिर एडिटर्स ही कर सकते हैं। इसके लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की ट्रेनिंग ज़रुरी है।

प्रमुख कोर्स

सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग, डिप्लोमा इन फिल्म एडिटिंग,

डिप्लोमा इन वीडियो एडिटिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग, डिप्लोमा इन पोस्ट प्रोडक्शन वीडियो एडिटिंग आदि इस फील्ड से संबंधित प्रमुख कोर्स हैं। ये कोर्स देश के विभिन्न निजी और सरकारी संस्थानों में उपलब्ध हैं। अलग-अलग पाठ्यक्रमों की अवधि अलग-अलग हो सकती है। रेगुलर कोर्स के अलावा इस क्षेत्र में विभिन्न शॉर्ट टर्म कोर्स भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा कई संस्थानों में उच्च स्तरीय स्पेशलाइज्ड कोर्स भी हैं।



शैक्षणिक योग्यता

इस कोर्स में दाख़िला लेने के लिए यूं तो 12वीं के बाद ही रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन डिग्री और डिप्लोमा के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना ज़रुरी है। इसमें शॉर्ट टर्म कोर्स भी उपलब्ध है। अगर किसी चैनल में नौकरी पाना चाहते हैं तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है।

व्यक्तिगत योग्यता

एक सफल वीडियो एडिटर बनने के लिए व्यक्ति को कल्पनाशील होना चाहिए, ताकि सीन की ज़रुरत को समझते हुए उपयुक्त साउंड की मिक्सिंग की जा सके। जो शूट किए सीन को विभिन्न सॉफ्टवेयर की मदद से इफेक्टिव एडिटिंग करने में रुचि रखते हैं, उनके लिए वीडियो एडिटिंग का प्रोफेशन बेहद चमकदार है। एंटरटेनमेंट एवं मीडिया इडस्ट्री से जुड़े इस प्रोफेशन में पैसा भी है और रोज़गार के अवसर भी। न्यूज़, एंटरटेनमेंट चैनल्स, म्यूजिक वर्ल्ड, फीचर विज्ञापन एजेंसी, फिल्म, टीवी में रोज़गार के भरपूर मौक़े हैं। इसके लिए अलावा पोस्ट प्रोड्क्शन स्टूडियो, टीवी चैनलों आदि में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्ट पर भी काम मिलता है।

इस कोर्स में दाख़िला लेने के लिए यूं तो 12वीं के बाद ही रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन डिग्री और डिप्लोमा के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना ज़रुरी है। इसमें शॉर्ट टर्म कोर्स भी उपलब्ध है। अगर किसी चैनल में नौकरी पाना चाहते हैं तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है।

अवसर एवं संभावनाएं

ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन को वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत पड़ती ही है। मार्केट में न्यूज़ चैनल, प्रोडक्शन हाउस, ऑनलाइन मीडिया हाउस, यूट्यूब चैनल आदि जगहों पर वीडियो एडिटर की मांग है। ये कोर्स आपको घर बैठे-बैठे भी जॉब के बहुत से अवसर दे सकता है। जी हां आप अपना ख़ुद का चैनल खोलकर, ख़ुद की वीडियो बनाकर, ख़ुद से एडिट करके एक अच्छी ख़ासी कमाई कर सकते हैं।

■■

पर्यावरण की चिंता!

अभी हाल में ही दुनियाभर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून को भारत में भी हम सबने इसे धूमधाम से मनाया। इसकी ख़ूब चर्चा हुई लोगों को पर्यावरण की रक्षा करने को कहा गया। ठीक इसके दूसरे दिन ही पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक-2022 में भारत की स्थिति को दुनिया के तमाम देशों सबसे ख़राब दर्शाया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 180 देशों की सूची में हमारा स्थान सबसे अंतिम पर पहुंच गया हो। इससे नीचे जाने की गूंजाइश होती, तो शायद हम और नीचे जाते। हमारे प्रधानमंत्री पिछले साल ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बड़ी-बड़ी बातें कह कर आए थे, लेकिन उसका नतीजा शून्य निकला।





निकहत ज़रीन ने रचा इतिहास

भारतीय महिला बॉक्सर निकहत ज़रीन ने इतिहास रच दिया। उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर सफलता का स्वर्णिम इतिहास लिखा है। फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग जुटामेंस ख़िलाफ़ निकहत ने शानदार लड़ाई लड़ी और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले सेमीफाइनल में ज़रीन ने ब्राजील की कैरोलिन डी अल्मेडा के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की थी। ज़रीन ने तुर्की के इस्तांबुल में महिला विश्व चौंपियनशिप में 52 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।

ज़रीन मुक़ाबले के दौरान बेहतरीन फॉर्म में थीं। उन्होंने अपने तकनीकी कौशल का इस्तेमाल किया और अपने फुर्तीले पैर वाले प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ने के लिए कोर्ट को अच्छी तरह से कवर किया। निकहत पहले दौर में सभी जजों को प्रभावित करने में सफल रहीं। निकहत के लिए यह साल शानदार रहा है। इससे पहले उन्होंने फरवरी में स्ट्रेंटजा मेमोरियल में स्वर्ण पदक जीता था। वह ऐसा करने वालीं पहली भारतीय महिला मुक्केबाज़ बनी थीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निकहत को इस जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, ''महिला विश्व मुक्केबाज़ी चौंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर निकहत ज़रीन को बधाई। भारत को आपकी उपलब्धि पर गर्व है। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।''

कहानी



मिख़ाईल नईमा



नाखून

मेरे एक देहाती पड़ोसी ने मुझे नगर से एक चीज़ लाने को कहा। उसने कहा-''चीज़ तो है मामूली परंतु है बड़ी दुर्लभ, पूरे नगर में केवल एक व्यक्ति बनाता है और वह भी आर्डर देने पर।'' उसने मुझे उसका नाम और दुकान का पूरा पता भी बता दिया। अधिक खोज और छान-बीन के बाद मैं उस बाज़ार में पहुंचा, जहां उसकी दुकान थी। देखता क्या हूं, एक अंधेरी और तंग गली में-जिसके दोनों सिरे दो चौड़ी सड़कों से मिलते हैं-वह दुकान स्थित है, बिल्कुल ऐसे, ही जैसे किसी जानवर का भट।

मैं दुकान में दाख़िल हुआ। अन्तिम सिरे पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दिखाई पड़ा। सामने छोटी-सी मेज़-हाथ में कैंची-दूसरे हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा-एक छोटी-सी लकड़ी पर-जिसमें छोटे-बड़े हर क़िस्म के सूराख़ थे-वह कुछ कांट-छांट कर रहा था।

मैंने सलाम किया उसने ऊपरी मन से जवाब दिया-नज़र उठाकर मुझे देखा तक नहीं। जब मैंने अपने आने का मक़सद बताया तो उसने और भी उदासीन होकर उत्तर दिया-और अपने काम में लग गया।

''तुम्हारा समय सोने का है?''

''नहीं! एक कौड़ी का भी नहीं।''

''तो फिर दो घंटे बाद आओ।''

मैं दो नहीं ढाई घंटे बाद उसकी दुकान पर गया। वह पहले ही की तरह अपनी जगह पर अपने काम में डटा हुआ था। दाहिने हाथ में कैंची-बांए हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा और सामने वही लकड़ी-जिस पर वह कांट-छांट कर रहा था।

जब मैंने आवश्यकता बताई तो उसने वही उदासीनता दर्शाते हुए इस प्रकार उत्तर दिया-''दो घंटे बाद आओ।''

अपने साथ किए गए इस तिरस्कार पर उसको कुछ कहना-सुनना मैंने उचित न समझा, क्योंकि मैं ज़रूरतमन्द था, उसको मेरी ज़रूरत न थी-फिर भी मैंने अपने रोष को प्रकट कर ही दिया। अब भी उसने कोई ध्यान न दिया और न ही मुझ से किसी प्रकार की क्षमायाचना की-बल्कि थोड़ी देर बाद फिर बोला, ''दो घंटे बाद आओ।''

दो घंटे बीत जाने के बाद मैं फिर उसकी दुकान की ओर बढ़ा-इस बार मैंने निश्चय कर लिया था कि बिना ज़रूरत पूरी किए वापस न आऊंगा अभी इस तंग कोठरी में क़दम भी न रखने पाया था कि उसने कहना शुरू कर दिया, ''क्या तुम्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं?''

मैंने कहा-''मुझे इसके अलावा और बहुत से काम हैं परन्तु सबसे ख़ास और अहम काम यही है, क्योंकि यह मेरे एक पड़ोसी का है और मैं चाहता हूं कि इसे बिना पूरा किए वापस न जाऊं।''

''तुम्हारे निकट इस काम का महत्व अवश्य होना चाहिए, पर अभी जाओ, तुम्हारा यह काम दो घंटे बाद ही हो सकेगा।''

मन में अनाप-शनाप बकते हुए भी मैंने उससे केवल इतना ही कहा-''मुझे आशा है कि आप इस बार वापस न करेंगे। मैं दूर के एक देहात से आया हूं। रास्ता कठिन और भयानक है। सूर्यास्त से पूर्व मेरा वहां पहुंच जाना ज़रूरी है।''

दो घंटे बाद जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वह अपनी जगह पर बैठा हुआ है और वही कैंची, जो उसके हाथ में थी-उससे अब वह अपने नाख़ून काट रहा है-छोटी लकड़ी और कपड़े के टुकड़े के स्थान पर उसके सामने अरबी भाषा का एक लंबा-चौड़ा दैनिक समाचार पत्र पड़ा हुआ है और क़रीब ही एक कार्टून का एक एलबम भी रखा है-उसने इस बार मुस्कराते हुए मेरा अभिवादन किया और सामने की कुर्सी पर बैठने का संकेत किया, फिर नम्रतापूर्वक बोला-''ईश्वर के लिए तनिक विश्राम कर लो-मैं तुम्हारा काम किए देता हूं-तनिक मैं नाख़ून तो काट लूं-क्या तुम अपने नाख़ूनों को काटना नहीं चाहते?-लो यह रही कैंची!'' उसने पहली बार मेरी ओर अपनी छोटी और गोल आंखें उठाईं-जिनमें आंसू भी थे और मुस्कान भी। वह रो नहीं रहा था, बल्कि अनोखी मुस्कान उसके सूखे और लटके हुए चेहरे पर खेल रही थी। मुझे अपने पूरे जीवन में यह अद्भुत चेहरा देखने का पहला अवसर था।

उसकी बातें सुनकर और उसका चेहरा देखकर मैं चकित था-आख़िर उसको किस तराज़ू पर रखूं और किन शब्दों में याद करूं-रोष की वह स्थिति-जो उसकी टाल-मटोल के कारण-मेरे मन में पैदा हो गई थी अब सद्भावना में बदलती जा रही थी और अपने आप हंसी भी आ रही थी।

मेरी प्रसन्नता या क्रोध की परवाह किए बिना वह जो चाहता, कहता और करता और इसमें सन्देह नहीं कि वह जो कुछ कर रहा था, उचित ही था, इसलिए अच्छा से अच्छा जवाब जो मैं दे सकता था वह यह था-''श्रीमान! धन्यवाद! मुझे नाख़ून काटने की ज़रूरत नहीं, घर वापस जाना अतिआवश्यक है। क्या अच्छा होता यदि आप पहले मेरे वापस जाने की चिंता करते, फिर उसके बाद नाख़ूनों की ओर ध्यान देते!''

''क्या अच्छा होता, यदि तुम भी अपने नाख़ून काट लेते, फिर घर वापस जाते।''

''परन्तु-मेरे नाख़ून कटे हुए हैं।''

''हां, कभी उंगलियों के नाख़ून कटे हुए होते हैं, परन्तु उनके अलावा दूसरे नाख़ून भी होते हैं-मैं समझता हूं तुम उनकी ओर ध्यान नहीं देते, हालांकि तुम्हें उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए था।''

''आपका मतलब किन नाख़ूनों से है?''

''मेरा मतलब उन नाख़ूनों से है जो मनुष्य के विचारों और मन व मस्तिष्क में उगे होते हैं''-मैं कुढ़कर चुप हो रहा। मैंने सोचा, संभवतः वह अपना वक्तव्य समाप्त कर दे और अपने नाख़ूनों को काटना रोक कर मेरी ज़रूरत पूरी करने में लग जाए, पर थोड़ी देर बाद ही उसने फिर अपना भाषण आरंभ कर दिया-''भेड़िया अपने नाख़ूनों को नहीं काटता, यही हथियार हैं जिनकी सहायता से वह अपनी रक्षा करता है और शिकार के जानवर हासिल करता है- मनुष्य अपने नाख़ूनों को काट देता है; क्योंकि उनकी मौजूदगी में तबीयत को कुढ़न होती है, इसके अतिरिक्त उसके पास ऐसे अस्त्र भी मौजूद हैं जिनकी सहायता से वह अपनी सुरक्षा कर सकता है और अपनी रोज़ी भी हासिल कर सकता है। भेड़िया अपने इस काम पर लज्जित नहीं होता। जब भूख बढ़ती है वह अपने भाई और बाप पर भी आक्रमण कर देता है और उन्हें फाड़ खाता है-बहरहाल वह निंदनीय नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही यही है, पर मनुष्य अपने कुकर्मों पर लज्जित होता है, वह अपने बाप और भाई से भिड़ना नहीं चाहता, जान-बूझकर अथवा बिना जाने-बूझे जब कभी वह अपने भाई और बाप के साथ दुष्चरित्रता पर उतारू हो जाता है, तो उसके इस दुराचार पर दूसरे लोग उसे धिक्कारते हैं, तात्पर्य यह कि दुराचार, स्वार्थ, लोभ और द्वेष एवं प्रतिकार की तमाम भावनाएं, जो किसी मनुष्य के भीतर पैदा होती हैं, वह नाख़ून

हैं जो केवल जंगली पशुओं को शोभा देते हैं, मनुष्य को कदापि शोभा नहीं देते, अतएव जो व्यक्ति मनुष्य बनना चाहता है और मनुष्यों की श्रेणी में रहकर शांति की बांसुरी बजाना चाहता है, उसका कर्तव्य है कि वह अपने इन नाख़ूनों को काट दे। क्या तुम मेरी इन बातों से सहमत नहीं?''

वह मुझ से बातें करता जाता और उसकी निगाह नाख़ून और कैंची पर जमी होतीं। जब कोई नाख़ून का टुकड़ा उसके सामने अख़बार पर गिरता, उसे बड़ी सावधानी से उठाता और धीरे से कार्टून के एलबम में रख देता।

मैं चकित था कि इस क़िस्म कि बातें? इस अंधेरी व तंग कोठरी में? एक ऐसे व्यक्ति से सुन रहा हूं? इतने में मेरी दृष्टि अपनी घड़ी पर पड़ी, जैसे मुझे किसी सांप ने छू लिया हो। उठने का इरादा कर ही रहा था कि उसने थोड़ी देर और इन्तिज़ार करने के लिए कहा, इसके बाद यूं कहने लगा-''आग्रह भी एक नाख़ून है जिसे काटना अनिवार्य है। मेरे भाई-संसार में कोई वस्तु इस योग्य नहीं कि हम उसकी प्राप्ति के लिए आशा करें। यह संपूर्ण सृष्टि नाख़ून के कटे हुए टुकड़े के समान नहीं हो सकती पर नाख़ून का कटा हुआ एक टुकड़ा संपूर्ण सृष्टि के समान हो सकता है।''

इस पर मैंने निराश होकर कहा-''जिस काम का कष्ट मैंने आपको दिया है, वह मेरे निकट इस समय संसार और उसकी वस्तुओं से अधिक मूल्यवान है। क्या आप कृपा करके शीघ्र अतिशीघ्र इसे पूरा कर सकते हैं?''

''प्रियवर! वह काम क्या है? प्रातः जब तुम आए थे मैं उसके दो मिनट बाद ही उस काम को पूरा कर चुका था, परन्तु चाहता कुछ और था-मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था।''

उसने मेरा काम सुचारू रूप से किया था। मैं उसे पा लेने के बाद अपनी तबियत पर क़ाबू न पा सका। चूंकि उसने मेरा अनादर किया था और बड़ी हद तक मेरा समय नष्ट किया था-मैंने उसकी निंदा करनी आरंभ कर दी, पर उसके चेहरे पर दुख व रोष के बजाए मुस्कान क्रीड़ा कर रही थी। मानो मेरी निंदा का उस पर कोई प्रभाव ही न पड़ रहा हो।

''मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी पर तुम सफल न हुए।''

''आपको मेरी परीक्षा लेने की कदापि आवश्यकता न थी। पूरे जीवन में पहली बार मैं आपसे मिला हूं। एक राही की परीक्षा लेना निरर्थक है, उसका सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता।''

''ठीक है! तुम्हारी भेंट मुझ से केवल एक बार की है, पर मैं समझता हूं कि तुम से इसे पहले कई बार मिल चुका हूं और आशा है कि भविष्य में भी एक समय तक भेंट होती रहेगी और मित्र की अपने मित्र से यही मांग होती है।''

''क्या आप प्रत्येक नए आने वाले की परीक्षा लेते हैं?''

''प्रत्येक नया आने वाला मनुष्य नहीं होता और न प्रत्येक मनुष्य इस योग्य होता है कि उसकी परीक्षा ली जाए।''

''इस तंग व अंधेरी कोठरी से निकल कर आपको इस लंबे-चौड़े संसार में क़दम रखना चाहिए और संसार वालों को आंतरिक व बाह्य नाख़ूनों के काटने का तरीक़ा सिखाना चाहिए।''

''हां-मैं नाख़ून काटने में जब कुशल हो जाऊंगा-अभी तो मैं ख़ुद सीख रहा हूं। जो स्वयं सीख रहा हो वह दूसरों को कैसे सिखा सकता है।''

''आप अपने कटे हुए नाख़ून के टुकड़ों की ओर इतना ध्यान क्यों देते हैं। क्या इसमें आपका कोई स्वार्थ निहित है या सफ़ाई-सुथराई में अतिशयोक्ति का परिणाम है?''

मैंने बिना सोचे-समझे यह प्रश्न पूछ लिया, परन्तु इसका प्रभाव उस व्यक्ति पर आशा से अधिक हुआ। उसने अपनी नज़र उठाई और मेरे चेहरे पर गाड़ दी और चबा-चबाकर यूं कहने लगा-''नाख़ून काटना मेरा बहुत बड़ा काम है। मैं अपने हरेक बाह्य नाख़ून के साथ एक आंतरिक नाख़ून भी काटता हूं। मेरे आंतरिक नाख़ून मेरी वे ग़लतियां हैं जो जान-बूझकर या अनजाने में मुझ से हो जाती हैं, मानो मेरा प्रत्येक बाह्य नाख़ून मेरी एक ग़लती का सूचक है। जिस प्रकार ये बाह्य नाख़ून पलते और बढ़ते हैं, उसी प्रकार ग़लतियां भी पलती और बढ़ती हैं। यही कारण है कि मैं अपना कोई नाख़ून बर्बाद नहीं होने देता और मैंने वसीयत कर दी है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी क़ब्र में ये नाख़ून भी मेरे साथ गाड़ दिए जाएं ताकि क़ियामत के दिन ये गवाह रहें कि मैं बिल्कुल पाक हूं। केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें यह सुझाव दे रहा हूं कि तुम भी वही करो जो मैं कर रहा हूं।''

अब मुझे उस व्यक्ति की बुद्धि के बारे में कुछ शक-सा होने लगा। मैंने पूछा, ''निस्संदेह आप अमूल्य सुझाव दे रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि आज से इस पर अमल करूंगा और आगे भी करता रहूंगा, पर कृपया मुझे बताइए कि यह सुझाव जो आपने मुझे दिया है आपका गढ़ा हुआ है? या आपने किसी और से सीखा है?'' नहीं यह मेरा गढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि मैंने इसका अपने स्वर्गीय पिता से विरासत में पाया है वह इस पर बड़ी सख़्ती से अमल करते थे, यहां तक कि केवल एक नाख़ून की वजह से वे फांसी के तख़्ते पर चढ़ गए और जान दे दी। मैंने तुम से पहले ही कहा था न कि

कभी-कभी नाख़ून का कटा हुआ एक टुकड़ा संपूर्ण सृष्टि के समान होता है।''

उस समय मैं निस्तब्ध खड़ा था। मैंने कहा, ''क्या नाख़ून का कटा हुआ एक टुकड़ा फांसी के तख़्त तक पहुंचा सकता है?''-मैं नहीं मान सकता।

''बिल्कुल सच्ची घटना है, संसार में इससे भी अधिक आश्चर्यजनक घटनाएं नित्य घटती रहती हैं। मेरे पिता-भगवान उन्हें स्वर्ग में जगह दे-बढ़ई के काम में निपुण थे, साथ ही साथ अति संयमी और ईश-भय रखने वाले। वे अपने नाख़ूनों के कटे हुए टुकड़ों को इसी सावधानी से एकत्र करते, जिस तरह तुम मुझे देख रहे हो। धीरे-धीरे पड़ोसियों को इसका ज्ञान हो गया। एक बार स्वर्गीय पिता जी नाख़ून काटने में व्यस्त थे। दुष्ट लड़कों की एक टोली दुकान पर पहुंची। संयोग से एक टुकड़ा उड़कर ज़मीन पर जा गिरा। एक लड़के ने उसे चुनकर हवा में फेंक दिया। स्वर्गीय पिता जी ने एक कुल्हाड़ी उठाई जो क़रीब ही पड़ी हुई थी और लड़के का पीछा किया। मेरा टुकड़ा लाओ, नहीं तो इस कुल्हाड़ी से तुमको मार गिराऊंगा। वह लड़का भागा चला गया, अंत में पिता जी ने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार गिराया और उसके प्राण पखेरू उड़ गए। मामला जज के पास पहुंचा। जज को विश्वास न हुआ और न किसी और ही को हुआ-क्या एक संयमी और ईश-भय रखने वाला व्यक्ति केवल नाख़ून के एक टुकड़े के लिए एक अबोध बालक की जान ले सकता है? परन्तु फांसी की घटना बिल्कुल सच्ची है। मेरे पिता ने बड़े तपाक से उसका अभिवादन किया और उसको गले से लगा लिया जैसे एक मित्र अपने बिछड़े हुए मित्र को पाकर गले लगा लेता है।''

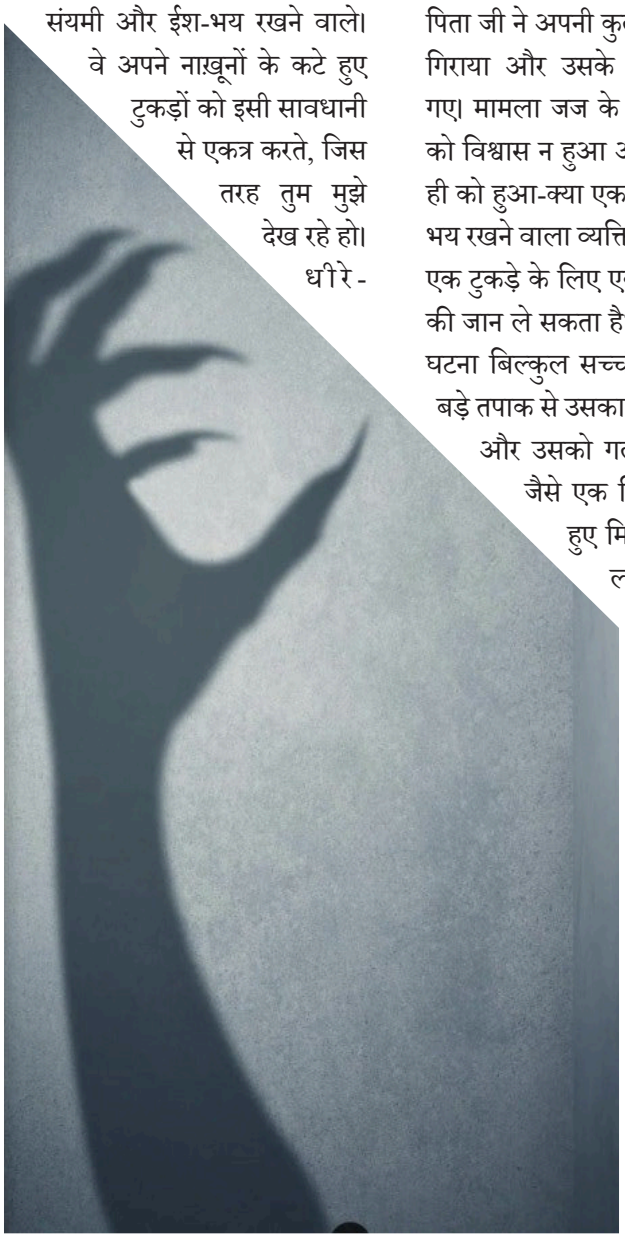

यह दुखद घटना सुनाकर वह ख़ामोश हो गया। मैंने कुछ नक़द रुपये उसकी मेज़ पर रख दिए और चलने के लिए अपना हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा दिया। उसने मेरा हाथ इतने ज़ोर से दबाया कि मैं चिल्ला उठा। इसके बाद वह बड़ी देर तक मुझे टकटकी बांधे देखता रहा और सरल अंग्रेज़ी में पूछा- ''Are you strong''? (क्या तुम ताक़तवर हो?)

मैंने उत्तर दिया और उत्तर देने में जितना आश्चर्य मुझे हुआ उससे कहीं अधिक उसके प्रश्न पर हुआ-मैं आपके सामने हूं, दुबले-पतले शरीर वाला, जो हलके बोझ से भी धरती पर जा रहे, उसने मेरा उत्तर सुना ही था कि फिर मुझे ज़ोर से झिंझोड़ा और कहा-मेरा तात्पर्य बाहुबल से नहीं, यह तो बैलों और पशुओं के लिए मुख्य है-मेरा तात्पर्य संयम से है। क्या तुम्हें अपनी इन्द्रियों पर कंट्रोल है? क्या तुम पसन्द करते हो कि इतना मामूली स्वार्थ, जिसके लिए तुम आज मेरे पास आए, तुम पर शासन करे? सुनो! आत्म-संयम ही मूल शक्ति है और इसके अलावा जो कुछ है वह हक़ीक़त में नाख़ून है, उसको काट देना ही अच्छा है, यह कहकर उसने मेज़ पर बड़ी ज़ोर से मारा। तमाम चीज़ें इधर-उधर नाचने लगीं। कार्टून का वह एलबम जिनमें नाख़ून के कटे हुए टुकड़े बड़ी सावधानी से रखे हुए थे, ज़मीन पर लुढ़क गए और तमाम टुकड़े अलग-अलग दिशाओं में बिखर गए।

उसका चेहरा काला पड़ गया। आंखें बाहर निकल आईं, शरीर में कपकपी पैदा हो गई और इसी हालत में वह बिखरे नाख़ूनों को अपने हाथ और पैर से टटोलने और एक-एक करके इकट्ठा करने लगा। इसी बीच में मैं आंख बचाकर खुली सड़क की ओर खिसक गया, परन्तु उसकी कपकपाई हुई आवाज़ मेरे कानों को सुनाई दे रही थी-हाय अफ़सोस! हाय अफ़सोस!! मुझ से बड़ी ग़लती हुई!!! मुझ से बड़ी ग़लती हुई!!! ■■

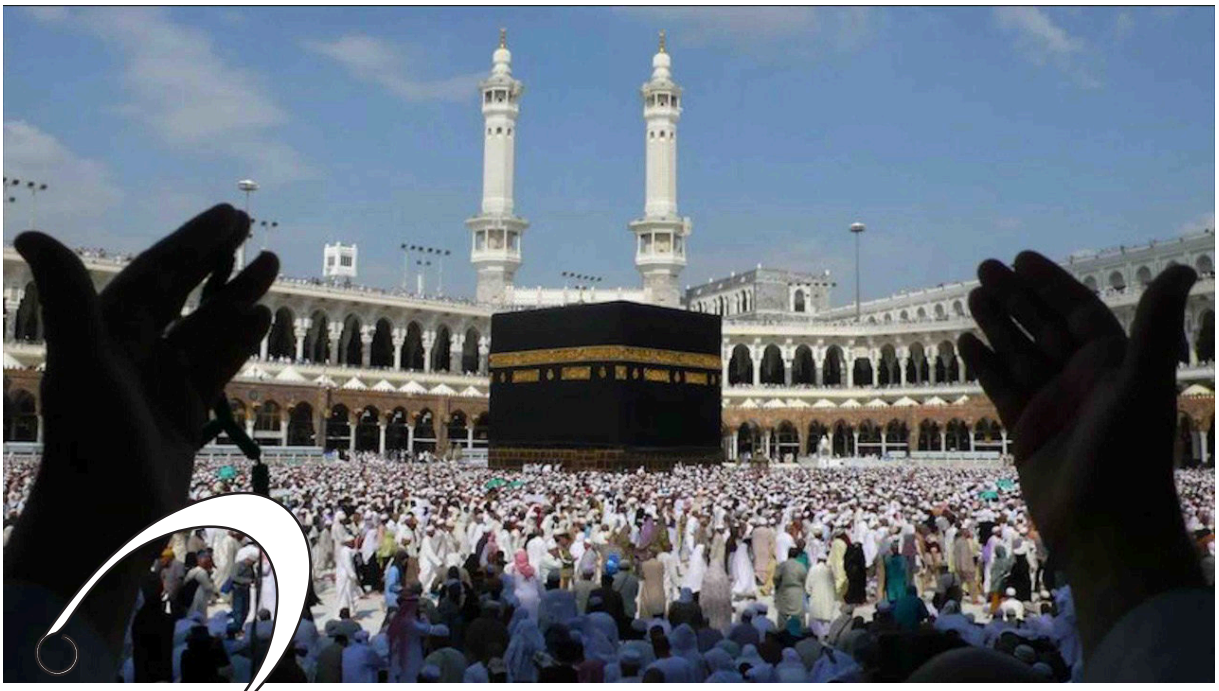

हज: सच्ची निष्ठा एवं भक्ति का प्रदर्शन

आख़िरी पन्ना

डॉ० मुहम्मद अहमद

इस्लाम विशुद्ध एकेश्वरवादी धर्म है। वह मानव स्वभाव के एकदम अनुकूल है। अतः इस्लाम में अल्लाह (ईश्वर) को मानने और उस पर ईमान लाने का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि अल्लाह नियंता और कार्यसाधक है, बल्कि इस विश्वास में अल्लाह की सत्ता और उसके गुणों की उचित और पूर्ण धारणा पाई जाती है। यह विश्वास हमें अल्लाह की सत्ता और उसके गुणों की जो कल्पना देता है उसका हमारे जीवन से गहरा संबंध है। यही कारण है कि इस्लाम अल्लाह में विश्वास द्वारा केवल यही नहीं कि आत्मा की शुद्धि, विकास, ईश-भक्ति और नैतिक सुधार का काम लेता है, बल्कि इसी को उसने जीवन के समस्त क्रिया-कलाप और मानव सभ्यता और संस्कृति की आधारशिला माना है।

इस्लाम अल्लाह और बन्दे के बीच किसी मध्यस्थ और एजेंसी का क़ायल नहीं। वह किसी ऐसी अनुभूत और भौतिक चीज़ को रद्द करता है, जिसको मनुष्य अपने सोच-विचार में पूज्य की तरह बसा कर अपना सारा ध्यान, साहस और शक्ति उस पर केन्द्रित कर दे और उसके दामन से चिमट जाए। इस्लाम में न तो मध्यस्थ की गुंजाइश है, न दिखावों की, न तस्वीरों, न मूर्तियों की और न यहां पादरी एवं पुरोहित के क़िस्म का कोई वर्ग पाया जाता है, न कहानियों (ज्योतिषियों जैसे कर्म करने वालों) और मुजाविरों की कोई जमाअत।

अल्लाह तआला का स्पष्ट कथन है : ''और जब मेरे बन्दे मेरे बारे में तुम से पूछें, तो मैं निकट हूं। मैं पुकारने वाले की पुकार का जब वह मुझे पुकारता है, उत्तर

हज एक पहलू से सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह (ईश्वर) के प्रेम में मनुष्य अपना कारोबार और अपने परिवार-मित्रों आदि को छोड़कर लंबी यात्रा पर निकलता है। फिर उसकी यह यात्रा साधारण यात्रा की तरह नहीं होती। इस यात्रा में वह अल्लाह की ओर ध्यान देता है। जैसे-जैसे अल्लाह का घर निकट आता जाता है उत्सुकता और प्रेम की अग्नि और अधिक भड़कती जाती है। वह अपने गुनाहों पर लज्जित होता है। सच्चे दिल से तौबा करता और अल्लाह से प्रार्थनाएं करता है कि उसे अच्छे कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो।

देता हूं। तो उन्हें चाहिए कि मेरी पुकार का भी उत्तर दें, मुझ पर ईमान रखें, ताकि वे मार्ग पर रहें (क़ुरआन, 2:186)।'' इसके अतिरिक्त इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो विचार की पवित्रता, सोच की बुलंदी, नीयत और संकल्प की सुथराई, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को पूज्य बनाने से सख़्ती से रोक, कर्म में निष्ठा के मानदंडों की उस पराकाष्ठा पर है, जिससे उत्तम मानदंड अकल्पनीय है।

यह भी सच है कि एक ऐसी चीज़ की उत्कंठा और आरशू प्रत्येक प्राणी के स्वभाव में दाख़िल है, जिसको वह अपनी भौतिक आंखों से देख सके । उसके द्वारा अपने आकांक्षा-भाव को संतुष्टि प्रदान कर सके और सानिध्य व आदर-भाव की उस तीव्र अपेक्षा की पूर्ति कर सके जो सदैव से उसकी प्रकृति में मौजूद है। इसके लिए अल्लाह ने कुछ ऐसी प्रत्यक्ष और अनुभूत चीज़ें नियत की है जो उसकी सत्ता के साथ कुछ विशेषताएं रखती हैं, उसी की ओर जोड़ी जाती है, उसी की कहलाई जाती है और उन पर उसकी इतनी रहमत है कि उनको देखकर अल्लाह का स्मरण बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त उनके साथ बहुत-सी ऐसी घटनाएं, मामले, कर्म और हवाले जुड़े हैं, जो मानव को अल्लाह तआला की निशानियां, उसके इनाम, उसके एकेश्वरवादी धर्म, उसके रसूलों की कोशिशों और उनके धैर्य को याद दिलाती है ।

इन चीज़ों का नाम उसने ''शआइर अल्लाह'' रखा । इनके प्रति आदर-प्रदर्शन को अपने प्रति आदर-प्रदर्शन ठहराया एवं इनमें कोताही को अपने हक़ में कोताही के समान बताया तथा मनुष्यों को इस बात की अनुमति बल्कि दावत दी कि उसके द्वारा वे अपनी छिपी हुई प्रेम-भावना और अत्यांतिक लगाव के प्राकृतिक भाव को संतुष्टि प्रदान करें और अपने लिए शांति एवं सुकून का सामान करें।

क़ुरआन में है : ''यह बात हो चुकी है, और जो कोई अल्लाह की (भक्ति से संबंधित) निशानियों का आदर करे, तो यह दिलों के तक़वा (धर्मपरायणता) की बात है (22:32)।'' एक और स्थान पर है: ''यह बात हो चुकी, और जो कोई अल्लाह की (निश्चित की हुई) मर्यादाओं का आदर करेगा, तो यह उसके रब के यहां उसी के लिए अच्छा होगा (22:30)।''

इमाम ग़ज़ाली (रह०) के अनुसार, अल्लाह के प्रति आदर और प्रेम-भाव एक विवेकी और अच्छे शील-स्वभाव वाले मनुष्य की वास्तविक आवश्यकता है । वह इसकी पूर्ति के लिए सदैव उत्सुक रहता है। अल्लाह के घर (काबा) और उसके साथ अल्लाह की जितनी निशानियां एवं हज की इबादतें व मक़ामात हैं, वे उसकी इस सच्ची और वास्तविक आवश्यकता को भली-भांति पूरा कर सकते हैं एवं उनसे उसको पूरी संतुष्टि और तसल्ली हासिल हो सकती है। अल्लाह तआला का कथन है: ''और (वह समय याद करो) जब हमने इबराहीम के लिए इस घर (काबा) की जगह ठहराई, (यह कहते हुए) कि मेरे साथ किसी को शरीक न करो, और मेरे घर को तवाफ़ (परिक्रमा) करने वालों एवं (इबादत में) खड़े होने वालों, झुकने तथा सजदा करने वालों के लिए पाक साफ़ रखो (22:26)।''

अल्लाह के घर को ईमान और इख़लास (सच्ची निष्ठा और प्रेम) की उन बुनियादों पर क़ायम किया गया, जिसकी मिसाल संसार में और कहीं नहीं मिलती। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने इसको सर्वथा भलाई, बरकत और सारे



संसार के मार्गदर्शन का उद्गम बनाया है। इसको पसन्द फ़रमाया, इसे अपनी रहमत से नवाज़ा इसकी नित्यता का निर्णय किया, इसको सौंदर्य और जलाल का परिधान प्रदान किया और दिलों को इसकी ओर आकृष्ट किया। यह घर हर क़िस्म के ज़ाहिरी हुस्न और कृत्रिम शोभा से ख़ाली है और एक ऐसे नगर में स्थित है जो सभ्यता एवं संस्कृति के हंगामों और ज़िन्दगी के पुरशोर धारे से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी इसमें वह आकर्षण पाया जाता है कि लोग इसकी ओर खिंच-खिंचकर श्रद्धा-मुग्ध भाव से पहुंचते हैं एवं इसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं।

हज एक पहलू से सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह के प्रेम में मनुष्य अपना कारोबार और अपने परिवार-मित्रों आदि को छोड़कर लंबी यात्रा पर निकलता है। फिर उसकी यह यात्रा साधारण यात्रा की तरह नहीं होती। इस यात्रा में वह अल्लाह की ओर ध्यान देता है। जैसे-जैसे अल्लाह का घर निकट आता जाता है उत्सुकता और प्रेम की अग्नि और अधिक भड़कती जाती है। वह अपने गुनाहों पर लज्जित होता है। सच्चे दिल से तौबा करता और अल्लाह से प्रार्थनाएं करता है कि उसे अच्छे कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ''इहराम'' बांधने के बाद उसकी ज़ुबान से ये शब्द निकलते हैं : ''हाज़िर हूं, ऐ अल्लाह! मैं तेरी सेना में हाज़िर हूं, हाज़िर हूं तेरा कोई सहभागी नहीं। मैं तेरी सेवा में हाज़िर हूं। निश्चय ही प्रशंसा तेरे ही लिए है। सारी कृपाएं और उपकार तेरे ही हैं, राज्य तेरा ही है, तेरा कोई सहभागी नहीं है।''

"इहराम" बांधने के बाद उसकी ज़ुबान से ये शब्द निकलते हैं : "हाज़िर हूं, ऐ अल्लाह! मैं तेरी सेना में हाज़िर हूं, हाज़िर हूं तेरा कोई सहभागी नहीं। मैं तेरी सेवा में हाज़िर हूं। निश्चय ही प्रशंसा तेरे ही लिए हैं। सारी कृपाएं और उपकार तेरे ही हैं, राज्य तेरा ही है, तेरा कोई सहभागी नहीं है।"

"जब तुम्हें अच्छे काम से प्रसन्नता हो और बुरे काम से दुख और क्षोभ हो तो तुम मोमिन हो।"

(हदीस : मुस्नद अहमद)

Nuzhat Parveen
JHARKHAND





شمال مشرقی ہند میں علم وادب اور انفارمیشن ٹکنالوجی کا ایک ممتاز تعلیمی وفلاحی رجسٹرڈ ٹرسٹ

مرکز ادب و سائنس

تعلیمی وفلاحی رجسٹرڈ ٹرسٹ، رانچی

چند حقائق

چار شعبے اور اہم کورسیز:۔

✹ ادبیات ✹ تقابلی مذاہب ✹ کیریئر گائڈنس اور ٹریننگ ✹ تحقیق واشاعت

✹

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان وزارت تعلیم حکومت ہند کے کورسیز

⬇

Computer Application, Business Accounting &

Multilingual DTP(CABA-MDTP)

نیز

NIELIT چنڈی گڑھ، وزارت انفارمیشن ٹکنالوجی حکومت ہند









قائم شدہ چند اہم ادارے

✹ سجاد کمپیوٹر ٹریننگ اینڈ گائڈنس سنٹر (SCTGC)، بریاتو ✹ سجاد انسٹی ٹیوٹ آف انفارمیشن ٹکنالوجی (SIIT)، کانٹاٹولی چوک

✹ نائلٹ 'او' اور 'اے' لیول اکریڈیٹیڈ انسٹی ٹیوٹ اکریڈیشن نمبر: "O-2037" اور "A-2136"

پروفیسر احمد سجاد کی چند اہم تصانیف

✹ بندۂ مومن کا ہاتھ ✹ تنقید و تنقیح ✹ جنوبی ہند کا ایک علمی وادبی سفر ✹ کیا برصغیر کی اردو آبادی عذاب مسلسل کا شکار ہے؟

✹ اکیسویں صدی کا چیلنج اور ملی تعلیمی ایجنڈا ✹ جھارکھنڈ میں اردو نثر و شاعری کی سمت و رفتار ۱۹۶۰ء کے بعد ✹ Non-Violence in Islam, Principles and Practices

رابطہ: ⬅ سنڈیکیٹ لین، عقب جے، جے سیلس، کانٹاٹولی چوک، رانچی۔۸۳۴۰۰۱ (جھارکھنڈ)

فون: 0651-2530522۔موبائل: 09431587148

ای میل: markazadab12@gmail.com

⬅ 2k/3، بریاتو ہاؤسنگ کالونی، رانچی۔۸۳۴۰۰۹ (جھارکھنڈ)

فون: 0651-2540534۔موبائل: 09835136361

siit13@gmail.com

ویب سائٹ: http://www.markazadab.com

KANTI Monthly, New Delhi
JULY 2022
Posted on 20-21 June 2022
Published on 18 June 2022
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

Director Dr. Manzar Hasan